

## नैगम अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

### सूचीकरण करार के खण्ड 49(vii) की शर्तों के अनुसार

सेवा में,  
बैंक के सभी शेयरधारक  
हमने दि. 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए, सिंडिकेट बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करारों के संगत खण्डों में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

नैगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है न ही उसकी राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा रखे गए अभिलेखों तथा दस्तावेजों और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर यह हमारी राय है कि बैंक ने, स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की निम्नलिखित शर्तों का पालन किया है।

- निदेशक मंडल – घटन और क्षतिपूर्ति, समिति में निदेशकों की सदस्यता, निदेशक मंडल की बैठक और आचार संहिता (प्रारूपण बैंक के वेबसाइट में प्रस्तुत करना)
- लेखा परीक्षा समिति – घटन, अधिकार, बैठक, भूमिका इत्यादि
- सहायक कंपनियाँ
- प्रकटीकरण

क) संगत पार्टी लेन-देन का आधार ग) सार्वजनिक निगम की प्राप्य राशियों की उपयोगिता

ख) लेखाकरण प्रक्रिया घ) निदेशकों का पारिश्रमिक इत्यादि

5. वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. का प्रमाणीकरण

6. वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट

हम यह कहना चाहते हैं कि शेयरधारकों तथा निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है।

हम आगे कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता का आश्वासन देता है न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके सहारे प्रबंधक वर्ग ने बैंक का कारोबार संभाला है।

कृते मेसर्स शेपाट्रि एण्ड असोसियेट्स  
सनदी लेखाकार

ह/

(के. एस. कृष्ण राव)

साझेदार

सदस्यता सं. 022427

स्थान : बेंगलूर  
दिनांक : 15-04-2009

## मंडल के मुख्य वित्तीय अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाणीकरण

### (सूचीकरण करार के खण्ड 49 (v) के अंतर्गत)

दिनांक : 28-04-2009

मैं प्रमाणित करता हूँ:

क. मैंने वर्ष 2008-2009 के वित्तीय विवरणों और नकदी उपलब्धता विवरण की समीक्षा की है और कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

- इन विवरणों में कोई भी असत्य कथन शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या इसमें ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो;
- ये विवरण बैंक के कारोबार की सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और उन्हें वर्तमान लेखा मानदण्डों, प्रायोज्य विधियों तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग. हम बैंक में आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसका निर्वहण करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और कि हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या परिपालन की विसंगतियों, यदि कोई हो, जिसकी हम भली भांति जानकारी रखते हैं, और इन विसंगतियों का परिशोधन करने के लिए उठाए गए या उठाए जानेवाले कदमों को लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया है।

घ. हमने लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचना दी है:

- वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण के मामलों में वर्ष 2008-09 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन
- वर्ष 2008-09 के दौरान लेखाकरण नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिसका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है; और
- हमारे ध्यान में लाए गए महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले और उनमें प्रबंधक वर्ग या किसी कर्मचारी का शामिल होना, यदि कोई हो, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय रिपोर्ट में बैंक की आंतरिक नियंत्रण पर पड़ता है।

ह/

(आर. रामचन्द्रन)

कार्यपालक निदेशक और

मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/

(जॉर्ज जोसेफ)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : बेंगलूर

## निदेशक मंडल का सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी द्वारा बैंक की आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा

एतद्वारा पुष्टि की जाती है कि बैंक ने अपने मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कर्मचारियों के लिए दि. 22-09-2005 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता को अपनाया है जिसका कार्यान्वयन दि. 01-10-2005 से हुआ है और आचार संहिता को बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए, पुनः अब यह पुष्टि की जाती है कि मंडल के सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कर्मचारियों ने दि. 31-03-2009 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता का पालन करने की पुष्टि की है।

स्थान : बेंगलूर  
दिनांक : 11-04-2009

ह/-

(जॉर्ज जोसेफ)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(In terms of Clause 49 (vii) of the Listing Agreement)

To All the Shareholders of the Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Syndicate Bank for the year ended 31-3-2009 as stipulated in the relevant Clauses of the Listing Agreements of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements with the Stock Exchanges detailed as under:

- 1) Board of Directors – Composition, Compensation, Membership of Directors in committees, Board Meetings and Code of Conduct (drafting and placing on the website of the Bank)
- 2) Audit Committee – Composition, Powers, Meetings, Role etc.
- 3) Subsidiary Companies
- 4) Disclosures:
  - a) Basis of related party transactions
  - b) Accounting treatment
  - c) Risk Management
  - d) Utilisation of public issue proceeds
  - e) Remuneration of Directors etc.
- 5) CEO/ CFO Certification with respect to review of financial statements
- 6) Report on Corporate Governance in Annual Report etc.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per records maintained by the shareholders and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Place : Bangalore  
Date : 15-04-2009

For SESHADRI & ASSOCIATES  
Chartered Accountants  
Sd/-  
**(K S KRISHNA RAO)**  
Partner  
Membership No.022427

## CEO/CFO CERTIFICATION TO THE BOARD

(Under Clause 49(V) of Listing Agreement)

Date : 28-04-2009

We Certify that —

- a) We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year 2008-09 and that to the best of our knowledge and belief:
  - These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
  - These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations;
- b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2008-09 which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct;
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of the internal control, if any, of which we are aware of and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee -
  - Significant changes in internal control over the financial reporting during the year 2008-09;
  - Significant changes in accounting policies during the year 2008-09 and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
  - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over the financial reporting.

Sd/-  
**(R. RAMACHANDRAN)**  
EXECUTIVE DIRECTOR AND  
CHIEF FINANCIAL OFFICER

Place : Bangalore

Sd/-  
**(GEORGE JOSEPH)**  
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR  
AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

## DECLARATION REGARDING COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT OF THE BANK BY BOARD MEMBER AND SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

It is hereby confirmed that the Bank has on 22-09-2005 adopted the Code of Conduct for the Board Members and Senior Management Personnel as laid down by SEBI, for implementation with effect from 01-10-2005 and the said code of conduct is posted on the website of the Bank.

In pursuance of the above, it is now further confirmed that the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the aforesaid Code of Conduct of the Bank for the year ended 31-03-2009.

Place : Bangalore  
Date : 11-04-2009

Sd/-  
**(GEORGE JOSEPH)**  
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

## बासेल - II प्रकटीकरण - मार्च 2009

बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और विनियामक निर्देशों के अनुरूप निरंतर स्तरोन्नत और कारगर बना रहा है। बैंक के कारोबार की समग्र संवृद्धि और विकास में जोखिम प्रबंधन के महत्व को स्वीकारते एक संपूर्ण जोखिम प्रबंधन ढाँचा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत जोखिमों की पहचान, निर्धारण, अनुप्रवर्तन, कम करने और उपर नियंत्रण करने हेतु प्रभावी जोखिम अभिशासन ढाँचा, प्रणालियाँ, नीतियाँ और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में नये ढाँचे के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रकटीकरणों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित प्रकटीकरण इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हैं:

### नये ढाँचे को लागू करने की व्याप्ति

- क) समूह के उस शीर्ष बैंक का नाम जिसके लिए ढाँचा लागू होता है। - *बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है।*
- ख) लेखाकरण और विनियमन प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार में भिन्नताओं की रूपरेखा, समूह के भीतर के संघटनों के विवरण के साथ - *लागू नहीं*

### परिमाण्वात्मक प्रकटीकरण

- ग) सभी सहायक संस्थाओं की पूँजी की सकल राशि की कमी जो समेकन में शामिल नहीं की गई है, अर्थात् जिनकी कटौती की गई है और ऐसे सहायक संस्थाओं के नाम - *लागू नहीं*
- घ) बीमा संस्थाओं में बैंक के हितों की कुल रकम (उदा: चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारत है और उनका नाम, उनके संस्थान या निवेश का देश, इनमें स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न है तो मतदान अधिकार का अनुपात। इसके अलावा कटौती करने के बजाय इस उपाय को अपनाने से नियंत्रक पूँजी पर पड़नेवाले परिमाण्वात्मक प्रभाव भी दर्शाएँ। - *लागू नहीं*

## पूँजी ढाँचा

### परिमाण्वात्मक प्रकटीकरण

- क) सभी पूँजी लिखतों को खासकर टायर-I या अपर टायर-II में शामिल करने के लिए पात्र पूँजी लिखतों की विशेषताओं से संबंधित शर्तों एवं नियमों का संक्षिप्त विवरण।

बैंक के टायर-I पूँजी में शेयर पूँजी, निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ और बैंक द्वारा अर्जित निवल लाभ से विनियुक्त कुछ विशिष्ट प्रारक्षित निधियाँ आती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार आइपीडीआई को भी टायर I पूँजी के रूप में परिकल्पित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक ने 9.90% प्र.व. कूपन दर पर रु.240 करोड़ का आइ.पी.डी.आइ. जुटाया है और वित्तीय वर्ष 2008-09 में 9.40% प्र.व. कूपन दर पर रु.339 करोड़ का आइ.पी.डी.आइ. जुटाया है जो अगली अवधि के लिए 0.50% प्र.व. की कूपन दर पर स्टेप-अप के साथ 9.40% प्र.व. की दर पर देय है, यदि आबंटन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के अंत तक मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता हो।

टायर-II पूँजी में पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों की कुछ प्रतिशतता, जोखिम प्रावधान जिन्हें टायर-II और अपर टायर-II बांड से नहीं घटाया गया है, शामिल हैं। इन बांडों की शर्तें एवं नियम और उन्हें पूँजी निधियों के रूप में संगणित करने के सिद्धांत भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियम के अनुसार होंगे।

बैंक ने वर्ष 2004-05 से टायर-II बंधपत्र के माध्यम से 6.90% से 9.35% की श्रेणी की कूपन दर पर रु. 2419.70 करोड़ की राशि जुटाई है। वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने 10 वर्ष के लिए 8.60% प्र.व. की कूपन दर पर रु.300 करोड़ लोवर टायर-II बंधपत्र जुटाया है।

(रुपये करोड़ों में)

ख) निम्नलिखित के प्रकटीकरण के साथ टायर-I पूँजी की रकम	
• प्रदत्त शेयर पूँजी	521.97
• प्रारक्षित निधियाँ	4069.67
• नवोन्मेषी लिखतें	579.00
• अन्य पूँजी लिखतें	कुछ नहीं
• टायर I पूँजी, से कटौती की गई रकम, सहयोगी संस्थाओं में इक्विटी निवेश	16.67
ग) टायर-II पूँजी की कुल रकम (टायर-II पूँजी से कटौती करने के बाद निवल)	3174.06
घ) ऋण पूँजी लिखतें, जो अपर टायर-II पूँजी में शामिल करने के लिए पात्र हैं	
बकाया कुल रकम	819.70
उसमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई रकम	कुछ नहीं
पूँजी निधियों के रूप में गणना में ली जानेवाली पात्र रकम	819.70
ङ) गौण ऋण, जो लोवर टायर-II पूँजी में शामिल करने के लिए पात्र है - बकाया कुल रकम	1825.00
उसमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई रकम	300.00
पूँजी निधियों के रूप में गणना में ली जानेवाली पात्र रकम	1745.00
च) पूँजी से की गई अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हों सहायक संस्थाओं में इक्विटी निवेश (50%)	16.67
छ) कुल पात्र पूँजी	8328.02

## BASEL II DISCLOSURES – MARCH 2009

Bank is continuously upgrading and fine-tuning the Risk Management Systems in tune with best practices and regulatory directions. Recognizing the importance of risk management in the overall growth and development of bank's business, a holistic view of risk management framework has been designed by putting in place an effective risk governance structure, systems, policies and procedures for identification, assessment, monitoring, mitigation and control of risks.

The guidelines issued by Reserve Bank of India, prescribe a series of disclosures in connection with the implementation of the new framework. The following disclosures made are intended to achieve these objectives:

### SCOPE OF APPLICATION

- a) Name of the top Bank in the group to which the framework applies. - *The Bank does not belong to any group*
- b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with brief description of the entities within the group. - *Not Applicable*

### Quantitative Disclosures

- c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries. - *Not Applicable*
- d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction. - *Not Applicable*

### CAPITAL STRUCTURE

#### Quantitative Disclosures

- a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier I or in Upper Tier 2.

The Tier I capital of the Bank mainly consists of Share capital, free Reserves and certain specific reserves appropriated from the net profit earned by the bank. Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) is also reckoned as Tier I Capital as per the RBI norms.

During the F.Y. 2007-08 Bank has raised IPDI of Rs.240 Crores at a coupon rate of 9.90% p.a. and in the F.Y. 2008-09, Bank has raised IPDI of Rs.339 Crores at a coupon rate of 9.40% p.a. payable annually with step up coupon rate of 0.50% p.a. for further life, if call option is not exercised at the end of 10th year from the date of allotment.

Tier II Capital consists of certain percentage of revaluation reserves, risk provision which are not netted off, Tier II and Upper Tier II Bonds. The terms and conditions of these bonds and the principles of reckoning them as capital funds are guided by RBI regulation.

Bank has raised Rs.2419.70 Crores through Tier II bonds since 2004-05 with coupon rate ranging from 6.90% to 9.35%. During the F.Y. 2008-09 Bank has raised Lower Tier II Bonds of Rs.300 Crores at a coupon rate of 8.60% p.a. for 10 years.

(Rs. in Crores)	
b) The amount of Tier I capital, with separate disclosure of	
• Paid-up share capital	521.97
• Reserves	4069.67
• Innovative instruments	579.00
• Other capital instruments	NIL
• Amounts deducted from Tier I capital, Equity investments in Associates (50%)	16.67
c) The total amount of Tier II capital (net of deductions from Tier II capital)	3174.06
d) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier II capital	
Total amount outstanding	819.70
Of which amount raised during the current year	NIL
Amount eligible to be reckoned as capital funds	819.70
e) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier II capital	
Total amount outstanding	1825.00
Of which amount raised during the current year	300.00
Amount eligible to be reckoned as capital funds	1745.00
f) Other deductions from capital, if any, Equity investments in Associates (50%)	16.67
g) Total eligible capital.	8328.02

## पूँजी पर्याप्तता

### गुणात्मक प्रकटीकरण

क) वर्तमान और भविष्य के कार्यकालों को समर्थन प्रदान करने के लिए अपनी पूँजी पर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के संबंध में संक्षिप्त विचार विमर्श:

- बैंक ने 25% की अनुमानित ऋण संवृद्धि के आधार पर 11.50% के सी.आर.ए.आर. का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण अगले चार वर्षों के दौरान 8% के टायर I सी.आर.ए.आर. के साथ 12% का सी.आर.ए.आर. रखने का लक्ष्य रखा गया है।
- कारोबार ढांचा और अनुमानित संवृद्धि पर विचार करते हुए निम्नलिखित के संदर्भ में पूँजी का निर्धारण किया गया है:

#### पिलर I जोखिम यानि

- ऋण जोखिम – मानकीकृत दृष्टिकोण
- बाजार जोखिम – मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण
- परिचालन जोखिम – मूल सूचक दृष्टिकोण और

#### पिलर II जोखिम यानि

- संकेंद्रण जोखिम
- चलनिधि जोखिम
- बैंकिंग बहियों में व्याज दर जोखिम
- अवशिष्ट जोखिम
- प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
- रणनीति संबंधी जोखिम
- अर्जन संबंधी जोखिम
- पूँजीगत जोखिम

- अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों के साथ कारोबार योजना की आवधिक समीक्षा और भावी योजनाओं तथा प्रस्तावित रणनीतियों के आधार पर पूँजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण।

बासेल-II ढांचे के अंतर्गत पूँजी के परिकलन के उद्देश्य से बैंक ने अपने सभी कारपोरेट आस्ति वर्ग और उन अन्य आस्ति वर्गों से खातावार ब्यौरे प्राप्त किए हैं जिनकी लेखा परीक्षा की गयी है।

बोर्ड को आवधिक रूप से कारोबार नीतियों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर कारोबार आधारित पूँजी योजना और पूँजी अपेक्षाओं से अवगत कराया गया है।

### परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की अपेक्षाएँ (रु. करोड़ों में)

संविभाग जो मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन हैं	5193.72
प्रतिभूतिकरण इक्सपोजर	कुछ नहीं

ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजी की अपेक्षाएँ:

मानकीकृत दृष्टिकोण (रु. करोड़ों में)

व्याज दर जोखिम	279.17
विदेशी मुद्रा जोखिम	66.33
ईक्विटी जोखिम	10.26

घ) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की अपेक्षा

मूल सूचक दृष्टिकोण (रु. करोड़ों में)

मूल सूचक दृष्टिकोण के अनुसार पूँजी अपेक्षा	359.48
--	--------

ड) बैंक के लिए कुल पूँजी अनुपात

नये पूँजी पर्याप्तता ढाँचे के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में कुल पूँजी का अनुपात	12.68
बासेल-II के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में टायर-I पूँजी का अनुपात	7.85
बासेल-III मानदण्डों के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में कुल पूँजी का अनुपात	11.37
बासेल-III के अनुसार जोखिम भागित आस्तियों की तुलना में टायर-I पूँजी का अनुपात	7.03

अपेक्षित पूँजी पर विवेकसम्मत न्यूनतम सीमा

(रु. करोड़ों में)

पुनरीक्षित ढाँचे के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पूँजी	5908.96
ऋण और बाजार जोखिम के लिए बासेल-II ढाँचे के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पूँजी (बासेल I का 90%)	5955.67
विवेकसम्मत न्यूनतम सीमा-उपरोक्त में से अधिकतम	5955.67

## Capital Adequacy

### Qualitative disclosures

a) A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

- Bank has targeted a CRAR of 11.50% based on a projected credit growth of 25%. On account of International presence, maintenance of CRAR of 12% with Tier I CRAR of 8% is envisaged during the next four years.
- Considering the business profile and the projected growth, capital is assessed with reference to

#### Pillar I risks namely,

- Credit Risk – Standardized approach
- Market risk – Standardized duration approach
- Operational Risk – Basic Indicator Approach and

#### Pillar II risks namely,

- Concentration Risk
  - Liquidity Risk
  - Interest rate risk in banking book
  - Residual Risk
  - Reputation Risk
  - Strategic Risk
  - Earnings Risk
  - Capital Risk
- Periodically review the business plan with the trends in the economy and assess the capital requirement, based on future plans and proposed strategies.

For the purpose of computation of capital under Basel II framework, Bank collects account wise details of all its corporate asset class and data on other asset classes which are subjected to the audit process.

The Board is periodically apprised of the capital driven business plan and capital requirement, based on business strategies and future plans.

### Quantitative Disclosures:

b) Capital Requirements for Credit Risk (Rs. in Crores)

Portfolios subjected to standardized approach	5193.72
Securitization Exposures	NIL

c) Capital Requirements for Market Risk  
Standardised Duration Approach

(Rs. in Crores)

Interest Rate Risk	279.17
Equity/Position Risk	66.33
Foreign Exchange Risk	10.26

d) Capital Requirement for Operational Risk  
Basic Indicator Approach

(Rs. in Crores)

Capital Requirement as per Basic Indicator Approach	359.48
---	--------

e) Total Capital Ratio for the Bank

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per New Capital Adequacy Framework	12.68
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	7.85
Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio - as per Basel I norms	11.37
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel I	7.03

Prudential floor on capital required

(Rs. in Crores)

Minimum capital required as per the revised framework	5908.96
Minimum capital required as per Basel I framework for credit and market risk (90% of Basel I)	5955.67
Prudential floor- Higher of the above	5955.67

**क) गुणात्मक प्रकटीकरण:**

बैंक द्वारा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण मानदंडों के लिए खातों के वर्गीकरण तथा लेखाकरण के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त 'चूक' की परिभाषा का अनुसरण किया जाता है:

इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित ऋण/अग्रिम अनर्जक आस्ति माना जाता है:

1. मीयादी ऋणों के मामले में जहाँ ब्याज और/या मूल राशि की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो।
2. ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण के मामले में जहाँ खाता 90 दिन से अधिक अवधि से अनियमित हो।
3. खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिन से अधिक अवधि से अतिदेय हो।
4. अल्पावधि के लिए फसलों हेतु प्रदान किए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा, जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त दो फसली मौसमों से अतिदेय हो।
5. लंबी अवधि के फसलों हेतु प्रदान किए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा, जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त एक फसली मौसम से अतिदेय हो।
6. अन्य खातों के मामलों में, कोई भी प्रायः राशि, जो 90 दिनों की अवधि से ज्यादा दिनों से अतिदेय हो।

**बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श:**

बैंक को कई अनिश्चितताएँ और जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ तो बैंकिंग कारोबार में स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई हैं और कुछ अप्रत्याशित आर्थिक एवं परिस्थितिजन्य कारणों से पैदा होती हैं। इस प्रकार की जोखिमों तथा अनिश्चितताओं के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए किसी बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली समग्र प्रक्रिया को ही जोखिम का प्रबंधन कहते हैं। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के जरिए बैंक के पास जोखिमों के मूल्यांकन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण के वैज्ञानिक साधन एवं पद्धतियाँ उपलब्ध होती हैं। ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक के पास एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है। निदेशक मंडल की उप समिति के रूप में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष प्रबंध निदेशक हैं। यह समिति ऋण जोखिम सहित विभिन्न प्रकार की जोखिमों के मामलों में संयोजित जोखिम प्रबंधन की नीति और रणनीतियाँ बनाती है। एक और ऋण जोखिम प्रबंधन समिति है, यह शीर्ष स्तर की कार्यपालक समिति है, जो ऋण जोखिम नीति और रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

बैंक ने एक सुपरिभाषित ऋण जोखिम नीति अपनाई है, जो ऋण जोखिम की प्रवृत्तियों एवं ऋण जोखिम की निगरानी तथा प्रबंधन प्रक्रियाओं के अनुरूप स्वयं को ढाल सकती है। उक्त नीति को उद्योग, विनियामक, आर्थिक और बाजार की गतिविधियों के अनुरूप समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है। उक्त नीति ऋण मंजूर करने के लिए विवेक समत सीमाएँ निर्धारित करती है।

ऋण जोखिम की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि यह उधारकर्ताओं द्वारा अपने संविदागत दायित्वों को निभाने में असफलता या उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में गिरावट की वजह से संभाव्य नुकसान है।

बैंक ने 'क्रिसिल' के सहयोग से पी.डी. और एल.जी.डी. सुचित करने की क्षमतायुक्त जोखिम श्रेणी निर्धारण मॉडल तैयार किया है। बैंक में ऋण के प्रकार और राशि के अनुरूप सॉफ्टवेयर युक्त श्रेणी निर्धारण मॉडल है। बैंक ने ऋण सीमाओं की मंजूरी के लिए विभिन्न स्तरों पर अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट अधिकार दिया है। निर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम के मीयादी ऋण प्रस्तावों की मंजूरी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित ऋण-समितियों द्वारा की जाएगी। बड़ी रकम के ऋण प्रस्तावों को नैगम कार्यालय के ऋण अनुमोदन समिति को, सहमति हेतु भेजा जाएगा। परियोजना मूल्यांकन कक्ष उच्च मूल्य के परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगा। ऋण मंजूरी कार्य को ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य से अलग कर दिया गया है।

बैंक में एक ऋण समीक्षा का प्रणाली है जिसका अनुप्रवर्तन नैगम कार्यालय के जोखिम प्रबंधन और अनुप्रवर्तन विभाग और क्षेत्रीय कार्यालयों जोखिम प्रबंधन कक्ष द्वारा किया जाता है। ₹.5.00 लाख और उस से अधिक रकम की सभी ऋण मंजूरीयों की समीक्षा अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा आर्बिट्रि श्रेणी निर्धारणों को समीक्षा प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जाती है। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्र के खातों की समीक्षा ऋण राशि के आधार पर मासिक/त्रैमासिक अंतरालों से की जाती है। बैंक ने एक ऐसी प्रणाली भी अपनाई है जिसके जरिए खातों को उनकी चूक होने के प्रांथिक स्तर पर ही पहचान की जा सकती है तथा उन पर निगरानी रखी जा सकती है। एक करोड़ रुपये और अधिक रकम के सभी खातों के लिए पोर्टफोलियो लेखा परीक्षा प्रणाली लागू की गयी है और उन खातों के लिए वार्षिक स्टॉक लेखा परीक्षा लागू की गयी जो स्टॉक द्वारा रक्षित हैं तथा उन बही ऋणों पर जिनकी ऋण राशि निर्दिष्ट सीमा से अधिक है।

ऋण संविभाग में व्यक्ति/समूह संकेन्द्रीकरण का प्रबंधन मंडल द्वारा आंतरिक सीमाएँ निर्धारित करके किया जाता है। उद्योगवार और क्षेत्रवार ऋण सीमाएँ निर्धारित करने के द्वारा क्षेत्र/उद्योग में संकेन्द्रीकरण जोखिम को कम किया जाता है। बैंक ने अग्रिमों के साख श्रेणीवार वितरण के लिए सीमाएँ निर्धारित की हैं और एक सुविस्तृत ऋण संविभाग सुनिश्चित करने के लिए अग्रिमों के भौगोलिक वितरण पर भी निगरानी रखता है।

**परिमाण्यात्मक प्रकटीकरण:**

ख) कुल सकल ऋण प्रकटीकरण	(रुपये करोड़ों में)
निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	82495.00
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	9340.00

**a) Qualitative Disclosures:**

Bank follows RBI definition of default for classifying and accounting for income recognition, asset classification and provisioning norms:

Non-Performing Asset is defined as a loan/advance where

1. Interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of term loan.
2. The account remains out of order for 90 days in respect of an overdraft/cash credit.
3. Bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted
4. A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons.
5. A loan granted for long duration crops is treated as NPA, if the instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season.
6. Any amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

**Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy:**

The Bank is exposed to uncertainties and risk due to various economic or environmental factors, some of them inherent to the banking business and others which are unforeseen and unexpected. Risk management is the comprehensive process adopted by a Bank to minimize adverse effects of such risks and uncertainties. Through the process of risk management the bank equips itself with tools and systems capable of assessing, monitoring and controlling risk exposures in a scientific manner. The Bank has an effective governance structure for managing credit risk. Risk Management Committee, a sub-committee of the Board headed by the Chairman and Managing Director devises the policy and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the bank including credit risk. There is also a Credit Risk Management Committee, an apex level executive committee responsible for implementation of the credit risk policy and strategies.

Bank has a well laid down credit risk policy, which clearly articulates credit risk appetite and the processes for monitoring and managing the credit risk. The policy is periodically updated in tune with industry, regulatory, economic and market developments. The policy prescribes prudential limits for taking up credit exposures.

Credit risk is defined as the possibility of losses arising out of failure of borrowers to fulfill their contractual commitments or the diminution in the credit quality of borrowers.

Bank in association with CRISIL has developed a risk rating assessment model with the capability to generate PD and LGD. There are software driven rating models depending on the type and quantum of exposures. Bank has put in place clearly delegated powers to functionaries at different levels to sanction credit limits. Term loan proposals beyond specified limits are cleared by Credit Committees constituted at Regional Office level. Large loan proposals are referred to Credit Approval Committee at Corporate Office for clearance before sanction. Project Appraisal Cell evaluates high value projects. Credit sanction is de-linked from credit risk management function.

Bank has a system of Loan Review mechanism which is performed by Risk Management and Monitoring Department at Corporate Office and by Risk Management cell at Regional Offices. All credit sanctions of Rs.5.00 lacs and above are reviewed by the next higher authority. Ratings allocated by lower officials are confirmed by the reviewing authority. Review of sensitive sector accounts under various categories is made on a monthly/quarterly basis depending on the quantum of exposures. Bank has a system of identifying and monitoring accounts that show early symptoms of delinquency. System of portfolio audit is introduced for all accounts of Rs. 1 crore and above and annual stock audit for accounts secured by stocks and book debts with exposures above specified limits. Bank has well laid down process for conducting Due Diligence, periodic stock and unit inspection, in order to monitor the health of loan assets.

Individual/group concentrations in credit portfolios are managed by fixing internal limits by the Board. Concentration risk in sector/industries is addressed through stipulation of industry-wise and sector-wise exposure limits. Bank has prescribed caps for credit rating wise distribution of advances and also monitors geographical distribution of advances to ensure a well diversified portfolio.

**Quantitative Disclosures:**

b) Total Gross Credit Exposures:	(Rs. in Crores)
Fund based credit exposures	82495.00
Non-fund based credit exposures	9340.00

ग) ऋण प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण: (रुपये करोड़ों में)

समुद्रपारीय	
निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	8331.00
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	138.00
घरेलू	
निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	74164.00
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	9202.00

c) Geographic distribution of credit exposures: (Rs. in Crores)

<b>Overseas:</b>	
Fund based credit exposures	8331.00
Non-fund based credit exposures	138.00
<b>Domestic:</b>	
Fund based credit exposures	74164.00
Non-fund based credit exposures	9202.00

घ) उद्योग-वार प्रकटीकरण (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों) (रुपये करोड़ों में)

क्रम सं.	उद्योग	ऋण		निवेश	कुल प्रकटीकरण
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित		
1.	संरचना	7467	1358	100	8925
2.	पेट्रोलियम	3082	466	40	3588
3.	सभी अभियांत्रिकी	701	1891	14	2606
4.	लोहा और इस्पात	2151	346	10	2507
5.	रसायनिक रंग एवं पेंट	814	993	3	1810
6.	निर्माण	545	914	61	1520
7.	वस्त्र	1175	57	18	1250
8.	रत्न और आभूषण	549	341	3	893
9.	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	600	15	16	631

d) Industry-wise distribution of exposures (Both fund based and non-fund based) (Rs. in Crores)

Sl. No.	Industry	Credit		Investment	Total Exposure
		Fund Based	Non Fund Based		
1	Infrastructure	7467	1358	100	8925
2	Petroleum	3082	466	40	3588
3	All Engineering	701	1891	14	2606
4	Iron and Steel	2151	346	10	2507
5	Chemicals Dyes & Paints	814	993	3	1810
6	Construction	545	914	61	1520
7	Textiles	1175	57	18	1250
8	Gems and Jewellery	549	341	3	893
9	Cement & Cement Products	600	15	16	631

औद्योगिक क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों में से बैंक द्वारा संरचना हेतु प्रदत्त ऋणों (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों) का प्रतिशत बैंक द्वारा प्रदत्त सकल निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित ऋणों की तुलना में 10.32% है।

Among industrial exposures, Bank's exposure to infrastructure (fund based and non fund based) is 10.32% of gross fund based and non fund based credit exposure of the bank.

ड) आस्ति के शेष संविदागत परिपक्वतावार विश्लेषण

e) Residual contractual maturity-wise breakdown of assets

(रुपये करोड़ में Rs. in Crore)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 days	8-14 दिन 8 to 14 days	15-28 दिन 15-28 days	29 दिनों से 3 महीने तक 29 days to 3 months	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक Over 3 months to 6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months to 6 months	1 वर्ष से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months to 1 year	3 वर्ष से 5 वर्ष तक Over 3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 year	कुल Total
i) ऋण और अग्रिम Loans & Advances	3489	4056	2320	3387	5108	5958	9317	29298	8068	10531	81532
ii) निवेश एवं प्रतिभूतियाँ Investments and Securities	1	415	42	173	529	307	1404	1967	4049	21650	30537
iii) जमाराशियाँ Deposits	895	5957	2585	2425	9791	15744	27275	35107	3259	12847	115885
iv) उधार राशियाँ Borrowings	2	0	0	0	0	142	885	1002	124	36	2191
v) विदेशी मुद्रा अस्तियाँ Foreign Currency Assets	1649	2061	455	385	1750	974	304	730	734	392	9434
vi) विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	634	2562	507	727	1594	1259	628	534	1	0	8446

उपरोक्त परिपक्वता ढाँचे का संकलन शाखाओं से प्राप्त सूचना के आधार पर कतिपय आस्तियों/देयताओं के ठोस एवं तरल भागों को निर्धारित करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार स्वाभाविक परिपक्वता के आधार पर प्रधान कार्यालय स्तर से समायोजन/प्रभाजन करके किया गया है।

The above maturity pattern has been compiled based on information received from branches, guidelines prescribed by RBI for determining core and volatile portion of certain assets/liabilities and adjustment/ apportionment made at Head Office on the basis of behavioural maturity.

ख) अनर्जक आस्तियों की राशि	(रुपये करोड़ों में)
अवमानक	589.91
संदिग्ध 1	544.13
संदिग्ध 2	429.08
संदिग्ध 3	14.93
हानि आस्तियाँ	16.49

ज) निवल अनर्जक आस्तियाँ	(रुपये करोड़ों में)
निवल अनर्जक आस्तियाँ	631.77

झ) अनर्जक आस्ति अनुपात	(रुपये करोड़ों में)
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियाँ	1.93
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ	0.77

ड) अनर्जक आस्तियों (सकल) में बदलाव	(रुपये करोड़ों में)
अथशेष	1768.65
परिवर्धन	960.70
कटौती	1134.81
समापन शेष	1594.54

ट) अनर्जक आस्तियों की ओर किए गए प्रावधानों में बदलाव:	(रुपये करोड़ों में)
अथ शेष	1107.40
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	380.83
बटूटे खाते डालना	562.19
अधिक प्रावधान की वापसी	Nil
इति शेष	926.19

ठ) अनर्जक निवेशों की रकम	(रुपये करोड़ों में)
अनर्जक निवेशों की रकम	60.90

ड) अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधान	(रुपये करोड़ों में)
अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधान	20.90

ढ) निवेशों में होने वाले मूल्यहास हेतु बनाए गए प्रावधानों में बदलाव	(रुपये करोड़ों में)
अथ शेष	65.64
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	84.56
बटूटा खाते डालना	शून्य
अधिक प्रावधान की वापसी	34.65
इति शेष	115.55

#### मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्वधीन लाए गए निवेश संविभाग पर प्रकटीकरण

बैंक ने, मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्दिष्ट जोखिम भार लागू करते हुए अपने निवेश संविभाग पर ऋण जोखिम पूंजी का परिकलन किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने, नैगम निवेश संविभाग के लिए अधिमान्य जोखिम भार लागू करने हेतु बाह्य श्रेणी निर्धारण की पहचान की है। बाहरी श्रेणी निर्धारण को लागू करने के उद्देश्य से, भा.रि.बैं. ने निम्नलिखित साख श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की पहचान की है:

1. क्रिसिल
2. इक्रा
3. केयर
4. फिच (इंडिया)

सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध बाहरी श्रेणी निर्धारणों का उपयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित परिकलन प्रक्रिया के माध्यम से अधिमान्य जोखिम भार लागू करने हेतु किया जाएगा।

\* दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का उपयोग, अ-श्रेणी निर्धारित दीर्घावधि और अल्पावधि निवेशों के परिकलन के लिए किया जाएगा।

\* जहाँ जारीकर्ता का श्रेणी निर्धारण तय किया गया है, वहाँ उसी श्रेणी निर्धारण को बैंक के निवेश के लिए उपयोग किया जाएगा।

\* बाहरी सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण का उपयोग तभी किया जाएगा जब हमारे निवेश अधिक होते हैं या बाहरी श्रेणी निर्धारण के बराबर होते हैं।

\* अल्पावधि श्रेणी निर्धारण निर्मा विशिष्ट होते हैं और उनका उपयोग दीर्घावधि निवेशों के परिकलन के लिए नहीं किया जाता है। फिर भी, जहाँ-कहाँ गैर श्रेणी निर्धारित अल्पावधि निवेशों पर

ग) Amount of NPAs	(Rs. in Crores)
Substandard	589.91
Doubtful 1	544.13
Doubtful 2	429.08
Doubtful 3	14.93
Loss Assets	16.49

ग) Net NPAs	(Rs. in Crores)
Net NPAs (Domestic)	631.77

ह) NPA Ratios	(Rs. in Crores)
Gross NPAs to Gross Advances	1.93
Net NPAs to Net Advances	0.77

इ) Movement of NPAs (Gross)	(Rs. in Crores)
Opening Balance	1768.65
Additions	960.70
Reduction	1134.81
Closing Balance	1594.54

ज) Movement of Provisions for NPAs	(Rs. in Crores)
Opening Balance	1107.40
Provisions made during the year	380.83
Write-off	562.19
Write-back of excess provisions	Nil
Closing Balance	926.19

क) Amount of non-performing investments	(Rs. in Crores)
Amount of non-performing investments	60.90

ल) Amount of provisions held for non-performing investments	(Rs. in Crores)
Provisions held for non-performing investments	20.90

म) Movement of provisions for depreciation of investments	(Rs. in Crores)
Opening Balance	65.64
Provisions made during the year	84.56
Write-off	Nil
Write-back of excess provisions	34.65
Closing Balance	115.55

#### Disclosures on portfolios subjected to standardized approach

The Bank has computed credit risk capital on all its portfolios by applying risk weights as prescribed by Reserve Bank of India for Standardised Approach. Reserve Bank of India has recognized external ratings for application of preferential risk weight for corporate exposures. For the purpose of application of external credit ratings, rating by recognized external credit rating agencies as follows are made use of:

1. CRISIL
2. ICRA
3. CARE
4. FITCH (INDIA)

The external ratings available in the public domain were utilized for application of preferential risk weights through the mapping process defined by Reserve Bank of India:

- \* Long Term ratings are used for mapping unrated Long Term and Short Term Exposures.
- \* Where issuer rating is assigned, same is used for Bank's exposure.
- \* External public ratings are used only when our exposures are senior or pari-passu to the external ratings.
- \* Short term ratings are issue specific and are not used for mapping long term exposures. However, wherever short term ratings are applied to unrated short term exposures, the relevant short term exposure attracts a risk weight of atleast

- अल्पावधि श्रेणी निर्धारण लागू किया जाता है, वहाँ संगत अल्पावधि निवेशों पर ऐसा जोखिम भार लागू किया जाएगा जो काउंटरपार्टी के श्रेणी निर्धारित अल्पावधि निवेशों के लिए लागू होनेवाले जोखिम भार से कम से कम एक स्तर ऊँचा होगा ।
- \* बाहरी एजेंसियों द्वारा निर्धारित बंध पत्र/डिबेंचर की अवधि को श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा प्रतिसंदाय हेतु गणना में ली गयी कुल अवधि के अनुसार बैंक के निवेश के अवशिष्ट परिपक्वता के परिकलन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

**परिमाण्णात्मक प्रकटीकरण:**

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम को कम करने के बाद की निवेश रकम: (करोड़ रुपयों में)

जोखिम भार वर्ग	ऋण जोखिम को कम करने के बाद ऋण उपलब्धता	ऋण जोखिम कम करने के बाद बाहरी श्रेणी निर्धारित ऋण	गैर श्रेणी निर्धारित
<b>अग्रिम</b>			
100% से कम जोखिम भार	42537.88	15802.59	26735.29
100% जोखिम भार	22329.84	4846.89	17482.95
100% से अधिक जोखिम भार कटौती	6854.64	833.15	6021.49
	—	—	—
<b>निवेश</b>			
100% से कम जोखिम भार	24158.65	—	24158.65
100% जोखिम भार	75.94	—	75.94
100% से अधिक जोखिम भार कटौती	46.87	—	46.87
	—	—	—

**ऋण जोखिम को कम करना**  
उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम को कम करने के लिए बैंक की ऋण जोखिम नीति में निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ शामिल की गयी हैं ।

- नकदी, जमाराशि सहित,
- सोना
- केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
- किसी ऐसी बीमा कंपनी की जीवन बीमा पालिसियाँ (घोषित अभ्यर्णण मूल्य सहित) जो आइ.आर.डी.ए. द्वारा नियंत्रित हो ।
- नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ
- सूचीबद्ध कंपनियों की ईक्विटी
- म्यूच्युअल फंड की यूनिटें
- भूमि और भवन
- कच्चा माल/बिज्जी माल/उत्पाद और अन्य वस्तुएँ
- बही ऋण और प्राप्य राशियाँ
- चल संपत्तियाँ जैसे, मशीनें, वाहन इत्यादि
- माल पर हक दस्तावेज

बासेल-II समझौते के अंतर्गत ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, संपार्श्विक प्रतिभूतियों, जैसे भू-संपत्ति, स्टॉक, मशीन इत्यादि को मान्यता नहीं देता है । नये ढांचे में केवल नकदी प्रतिभूति को मान्यता दी जाएगी जिन्हें “घात वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति” कहा जाता है । बैंक ने बासेल-II के अंतर्गत ऋण जोखिम को कम करने के उद्देश्य से केवल निम्नलिखित पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पहचान की है ।

- बैंक की अपनी जमाराशियाँ सहित नकद
- सोना
- के.वी.पी. और एन.एस.सी. (अवरुद्धता अवधि के बिना)
- जीवन बीमा पालिसी

जोखिम भारित आस्तियों का परिकलन करने से पहले और बाजार के उतार-चढ़ाव की वजह से संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति समायोजन करने के बाद संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य को निवेश के मूल्य के प्रति समायोजित करने के लिए अनुमति दी जाएगी । जमाराशियों द्वारा रक्षित निवेशों से भिन्न अन्य निवेशों के मामले में जहाँ परिपक्वता बेमेल है वहाँ जोखिम परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है ।

आभूषण ऋणों के मामले में बैंक मूल्यों की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मार्जिन रखता है । अतः प्रतिभूति का समायोजन करने के बाद भी, सोने के मूल्य पूरी ऋण राशि का समंजन करता है । के.वी.पी. और एन.एस.सी. के मामले में जोखिम को कम करने हेतु केवल उन संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पहचान की जाएगी जिनकी तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरी हो चुकी हो ।

- one level higher than the risk weight applicable to the rated short term of the counter-party.
- \* The tenor of the bond/debenture rated by external rating agencies is taken for mapping residual maturity with Bank's exposure as per the total period considered by the rating agencies for repayment.

**Quantitative Disclosures:**

Exposure amounts after risk mitigation subject to standardized approach: (Rs. in Crores)

Risk weight category	Exposure after Credit Risk Mitigation	Externally Rated Exposure after Credit Risk Mitigation	Unrated
<b>Advances</b>			
Below 100% Risk Weight	42537.88	15802.59	26735.29
100% Risk Weight	22329.84	4846.89	17482.95
More than 100% Risk Weight Deducted	6854.64	833.15	6021.49
	—	—	—
<b>Investments</b>			
Below 100% Risk Weight	24158.65	—	24158.65
100% Risk Weight	75.94	—	75.94
More than 100% Risk Weight Deducted	46.87	—	46.87
	—	—	—

**Credit Risk Mitigation**  
Bank's credit risk policy recognizes the following collateral for mitigation of credit risk in borrowers

- Cash, including deposits
- Gold
- Securities Issued by Central and State Governments, KVPs, NSCs
- Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by IRDA.
- Corporate Debt Securities
- Equities of listed Corporates
- Units of mutual funds
- Land and Building
- Raw materials/stock in trade/produce and other goods
- Book debts and receivables
- Movable assets such as machineries, automobiles etc.,
- Documents of title to goods

Standardised Approach for Credit Risk under Basel II Accord does not recognize collaterals like landed property, Stock, machinery etc. The New Framework recognizes only cash collaterals, which are termed as “Eligible Financial Collaterals”. The following eligible financial collaterals are recognized by the bank for credit risk mitigation purposes for Basel II:

- Cash including bank's own deposits
- Gold
- KVPs & NSCs (without Lock in Period)
- Life Insurance Policy

The value of the collateral is permitted to be offset against the value of the exposures before computing the Risk-Weighted Assets, after adjusting for possible future fluctuations in the value of collateral caused by market movements. In respect of exposures other than those covered by deposits, wherever there is maturity mismatch, risk mitigation has not been considered.

In case of jewel loans bank is taking sufficient margin to take care of volatility in value. Hence, even after adjusting for haircut, value of gold will completely off-set the exposures. In case of KVPs & NSCs only those which have completed three years (lock in period) have been recognized for mitigation.



विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने ऋण संरक्षण के पहचान हेतु केवल निम्नलिखित पात्र गारंटीकर्ताओं की पहचान की है:

- \* केन्द्र सरकार
- \* राज्य सरकार
- \* सी.जी.टी.एस.आइ. और
- \* ई.सी.जी.सी.

गारंटीकृत अंश का परिकलन, गारंटर को भारि.बैं. द्वारा प्रदान किए गए जोखिम भार के आधार पर किया जाएगा।

बैंक ने, पात्र संपाश्विक प्रतिभूतियों के रूप में अपनी ही जमा राशियों तथा एन.एस.सी./के.वी.पी. को लिया है। इसलिए संपाश्विक प्रतिभूतियों के भीतर कोई बाजार या ऋण संकेंद्रीकरण नहीं है।

#### मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रतिभूतिकरण का प्रकटीकरण

लागू नहीं, क्योंकि बैंक प्रतिभूतिकरण कार्यक्रम पर नहीं कर रहा है।

#### व्यापार बही में बाजार जोखिम

##### गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक के पास, उसके निवेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश नीति है, जो विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांतों, वित्तीय मानदण्डों, परिपक्वता सीमाओं, विभिन्न बाजार खण्डों में निवेश एवं परिचालन के लिए प्रवेश-स्तरीय श्रेणी निर्धारण के अनुरूप है। उक्त नीति में बाजार जोखिम प्रबंधन के रूप में निवेश संविभाग के लिए विभिन्न सीमाएं, जैसे जारीकर्तावार सीमाएं, अवधारित सीमाएं, एकल पार्टी निवेश सीमाएं, उद्योगवार निवेश सीमाएं, संशोधित अवधि आधारित सीमाएं इत्यादि शामिल हैं। व्यापार संविभाग (एच.एफ.टी.) के लिए रखे गए निवेशों के लिए जोखिम आधारित सीमा का मूल्य (वी.ए.आर.) भी निर्दिष्ट किया गया है। बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का परिकलन, भारि.बैं. के बासेल-II मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संशोधित अवधि पद्धति के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण पर मासिक अंतरालों में किया जाता है।

##### परिमाणात्मक प्रकटीकरण: (करोड़ रुपये में)

ब्याज दर जोखिम	279.17
ईक्विटी स्थिति जोखिम	66.33
विदेशी विनिमय जोखिम	10.26

##### परिचालन जोखिम:

बैंक के पास एक सुविस्तृत अनुदेश पुस्तिका है जिसमें उसके कारोबार के संपूर्ण विवरण दिए गए हैं। बैंक के आंतरिक और बाहरी गतिविधियों से संबंधित जानकारी/सूचनाओं को परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर इन अनुदेश पुस्तिकाओं में शामिल किया जाता है। बैंक के सभी प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में शाखाओं को विस्तृत जांच सूचियाँ उपलब्ध कराई गयी हैं। बैंक ने परिचालन जोखिम को नियंत्रित करने/रोकने के लिए विभिन्न नीतियाँ अपनाई हैं। बैंक ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है तथा के.वाई.सी. और ए.एम.एल. नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए के.वाई.सी. और ए.एम.एल. नीति अपनाई है। बैंक ने संवेदनशील लेन-देन पर नियमित आधार पर निगरानी रखने के लिए प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में परोक्ष निगरानी कक्ष स्थापित किए हैं, जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

बैंक ने कारोबार निरंतरता संबंधी मामलों के समाधान के लिए एक सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना को कार्यान्वित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कारोबार निरंतरता के समाधान हेतु एक नियर साइट और एक फार साइट के रूप में विस्तृत 'डिसेास्टर रिकवरी प्लान' अपनाया गया है। सूचना प्रणाली सुरक्षा के कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उसकी छेड़ता और भेद्यता का परीक्षण किया जाता है।

बैंक ने परिचालन जोखिम के अंतर्गत पूंजी का निर्धारण करने हेतु बुनियादी सूचक दृष्टिकोण अपनाया है। नये पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों के अनुसार, बैंक के परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार को भारि.बैं. की परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्षों की तुलना में धनात्मक वार्षिक औसत सकल आय का 15% पर निर्धारित किया गया है।

#### बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

##### क) गुणात्मक प्रकटीकरण

मुद्रा के उतार-चढ़ाव (जहाँ पण्यवर्त कुल पण्यवर्त के 5% से अधिक है) के कारण आइ.आर.आर.बी.बी. के आंकड़ों के लिए प्रबंधन की पद्धति के अनुसार ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी दर शॉक के लिए अर्जन और आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संगत उपाय) में वृद्धि (सिरावट) हेतु परिमाणात्मक प्रकटीकरण को अपनाया गया है।

##### ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

संपूर्ण तुलन-पत्र के लिए परिकलित ई.ए.आर. के अनुसार एक वर्ष का ई.ए.आर. रु. 58.31 करोड़ है। जिसकी ब्याज दर में 1% का परिवर्तन हो सकता है। यह बैंक द्वारा निर्धारित रु.125 करोड़ की छूट सीमा के भीतर है।

In line with regulatory guidelines Bank has recognized only the following eligible guarantors for recognition of credit protection:

- \* Central Govt.,
- \* State Govt.,
- \* CGSI and
- \* ECGC.

The guaranteed portion is assigned the risk weight of the guarantor provided by RBI.

As the bank has taken its own deposits and NSCs/KVPs as eligible collaterals, there are no market or credit concentrations within collaterals.

#### Securitization Disclosure for standardized approach

Not Applicable since bank does not undertake securitization activity.

#### Market Risk in Trading Book

##### Qualitative Disclosures:

The Bank has a Board approved Investment Policy which articulates various guidelines, financial benchmarks, maturity limits, entry-level ratings for investment and operations in various market segments. The Policy consists, inter-alia, various limits like Issuer wise limits, Duration limits, Single Party exposure limits, Industry wise exposure limits, Modified Duration based limits etc. for the portfolio as part of Market Risk Management. A Value at Risk (VaR) based limit is also stipulated for Held for Trading Portfolio (HFT). The Capital Charge for Market Risk is calculated at monthly intervals based on Standardised approach under Modified Duration method as per Basel II guidelines of RBI.

##### Quantitative disclosures:

(Rs. In Crores)

Interest rate risk	279.17
Equity position risk	66.33
Foreign exchange risk	10.26

##### Operational Risk

Bank has well laid down manual of instructions covering the entire gamut of its business. These manuals are periodically supplemented with circulars to update the information with developments internal and external to the bank. Detailed checklists are provided to branches on all major products and services. Bank has put in place a series of policies in order contain operational risk exposures. Bank has put in place a fraud risk management policy to prevent frauds, KYC and AML policy to arrest KYC and AML violations. Bank had created off-site monitoring cells at head office and regional offices to monitor sensitive transactions on a regular basis to serve as an early warning system.

Bank had implemented well defined business continuity plan in order to address business continuity issues. A detailed disaster recovery plan has been put in place, one near site and one far site is maintained to address IT related business continuity. Information security is managed through information security policy. Periodical vulnerability and penetration testing are conducted to ensure integrity of the information system security.

Bank has adopted Basic Indicator approach to assess the capital under operational risk. In terms of new capital adequacy norms, Banks' operational risk capital charge has been assessed at 15% of positive annual average Gross Income over the previous three years as defined by RBI.

#### Interest rate risk in banking book:

##### a) Qualitative disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover).

##### b) Quantitative disclosures

As per the EaR arrived for the entire balance sheet, the same is at Rs.58.31 Crs. for one year with an expected change in interest rate by 1%. This is within the tolerance of Rs. 125 crs. fixed by the bank.

## लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

## AUDITORS' REPORT

सेवा में महामहिम भारत के राष्ट्रपति,

To

The President of India

- हमने 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार सिंडिकेट बैंक के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न लाभ व हानि लेखा की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा 20 शाखाओं की लेखा-परीक्षा की गई है। 1940 शाखाओं की लेखा-परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा और 1 विदेशी शाखा की लेखा-परीक्षा विदेशी लेखा-परीक्षक द्वारा की गई है। जिन शाखाओं की लेखा-परीक्षा हमने की है और जिन शाखाओं की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों ने की है, उनका चयन, बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया गया है। तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखों में उन 266 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल हैं जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं के लेखों में 0.73 प्रतिशत की अग्रिम राशि, 2.88 प्रतिशत जमा राशि, 0.10 प्रतिशत ब्याज-आय और 0.25 प्रतिशत ब्याज व्यय शामिल है। हमने उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष से संबंधित तुलन-पत्र के साथ संलग्न नकदी प्रवाह विवरण की भी लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।
- हमने अपना लेखा-परीक्षा कार्य भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें कि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है तथा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया नहीं गया है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गई राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा-परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है।
- तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखों बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म क्रमशः 'ए' और 'बी' में तैयार किए गए हैं।
- प्रबंधक वर्ग द्वारा संकलित सूचना पर आस्था रखने से संबंधित अनुसूची 18 निम्नलिखित के नोटों की ओर ध्यान दिलाया जाता है।
  - आस्तियों और देयताओं (नोट सं. 6) की कुछ मदों की परिक्रता पैटर्न; और
  - पुनः संरचित खातों के ब्यौरे (नोट सं. 4(ख), 10(ड), और 10(ढ)).
- हम उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उपदर्शित लेखा-परीक्षा की मर्यादा के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए यह रिपोर्ट देते हैं कि:
  - हमारी राय और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और बैंक की लेखा बहियों में दर्शाए गए अनुसार
    - ऋण संबद्ध नोटों (सी.एल.एन.) के मूल्यांकन पद्धति को अब तक की तरह जारीकर्ता मूल्य के आधार पर मूल्यांकन करने के बजाय एफ.आइ.एम.एम.डी. दरों के रूप में परिवर्तित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप रु. 118.23 करोड़ के निवेश और लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है।
    - बकाया मदों के समाधान/संतुलन/शोधन से हो सकनेवाले समायोजन के प्रभाव का तत्परिणामी समाधान पता लगाने योग्य नहीं है (देखिए अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 10 (ज)).

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र पूर्ण और सही है और उसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार उचित रूप से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च,

- We have audited the attached Balance Sheet of Syndicate Bank as at 31st March, 2009 and also the Profit and Loss Account annexed thereto, for the year ended on that date in which are incorporated 20 branches audited by us, 1940 branches audited by other branch auditors and 1 foreign branch audited by the overseas auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns of 266 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.73 percent of advances, 2.88 percent of deposits, 0.10 percent of interest income and 0.25 percent of interest expenses. We have also audited the Cash Flow Statement annexed to the Balance Sheet for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement(s). An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- Attention is drawn to the following Notes of Schedule 18 regarding reliance being placed on information compiled by the management in respect of:
  - maturity pattern of certain items of assets and liabilities (Note No. 6), and
  - details of restructured accounts (Notes No. 4(b), 10(r) and 10(s)).
- Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein;
  - In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the bank subject to :
    - the method of valuation of Credit Linked Notes (CLN) has been changed to FIMMDA rates instead of valuing on the basis of the Issuers Price as hitherto followed which has resulted in overstatement of Investment and Profit by Rs. 118.23 crores,
    - the effect of adjustments that may arise from reconciliation / balancing / clearance of outstanding items, the consequential impact of which is not ascertainable (refer Note 10 (h) of Schedule 18),

we report that :

- The Balance Sheet read with Significant Accounting Policies and the Notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as

2009 की स्थिति के अनुसार उसके कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।

- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और उसकी टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि-लेखा उस लेखे से संबंधित लाभ को 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष सही शेष दर्शाता है।
  - नकदी उपलब्धता विवरण, 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का सत्य और उचित विवरण दर्शाता है।
- ख) हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है।
- ग) बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।
- घ) बैंक की शाखाओं और उसके कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March, 2009;

- The Profit and Loss Account, read with Significant Accounting Policies and the Notes thereon shows a true balance of Profit for the year ended 31st March, 2009; and
  - The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March, 2009.
- b) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
- c) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
- d) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

**मेसर्स एल. एस. नलवाया एण्ड कंपनी**

*सनदी लेखाकार*

**आशीष नलवाया**

*साझेदार*

सदस्यता सं.: 110922

**मेसर्स वी. के. धींगरा एण्ड कंपनी**

*सनदी लेखाकार*

**संजय जिंदल**

*साझेदार*

सदस्यता सं.: 087085

**For L. S. Nalwaya & Co.**

*Chartered Accountants*

**Aashish Nalwaya**

*Partner*

Membership No.: 110922

**For V. K. Dhingra & Co.**

*Chartered Accountants*

**Sanjay Jindal**

*Partner*

Membership No.: 087085

**मेसर्स बी. पी. राव एण्ड कंपनी**

*सनदी लेखाकार*

**सी. प्रशांत**

*साझेदार*

सदस्यता सं.: 214431

**मेसर्स जी. वेणुगोपाल कामत एण्ड कंपनी**

*सनदी लेखाकार*

**आर. रामचंद्रन**

*साझेदार*

सदस्यता सं.: 023982

**For B. P. Rao & Co.**

*Chartered Accountants*

**C. Prashanth**

*Partner*

Membership No.: 214431

**For G. Venugopal Kamath & Co.**

*Chartered Accountants*

**R. Ramachandran**

*Partner*

Membership No.: 023982

**मेसर्स निर्मल जैन एण्ड कंपनी**

*सनदी लेखाकार*

**अनिल जैन**

*साझेदार*

सदस्यता सं.: 086556

**मेसर्स एन. सी. मित्रा एण्ड कंपनी**

*सनदी लेखाकार*

**ए. के. मित्रा**

*साझेदार*

सदस्यता सं.: 009351

**For Nirmal Jain & Co.**

*Chartered Accountants*

**Anil Jain**

*Partner*

Membership No.: 086556

**For N. C. Mitra & Co.**

*Chartered Accountants*

**A. K. Mitra**

*Partner*

Membership No.: 009351

दिनांक : 28-04-2009

स्थान : बेंगलूर

Date : 28-04-2009

Place : Bangalore

### 31 मार्च, 2009 का तुलन-पत्र

### BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2009

(हजार रुपयों में / Rs. in thousands)

	अनुसूची सं. Schedule No.	As on दि. 31-3-2009 को	As on दि. 31-3-2008 को
<b>पूंजी और देयताएँ</b> <b>CAPITAL AND LIABILITIES</b>			
<b>पूंजी / CAPITAL</b>	1	<b>521,96,83</b>	521,96,83
प्रारक्षित निधि और अधिशेष / Reserves and Surplus	2	<b>4488,05,19</b>	3769,47,87
जमा राशियाँ / Deposits	3	<b>115885,14,07</b>	95170,80,47
उधार / Borrowings	4	<b>2190,47,64</b>	1306,16,41
अन्य देयताएँ और प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	<b>7170,02,80</b>	6363,86,43
<b>योग / TOTAL</b>		<b>130255,66,53</b>	107132,28,01
<b>आस्तियाँ / ASSETS</b>			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेष राशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	<b>12543,23,31</b>	10374,91,03
बैंकों के पास शेष राशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	<b>1861,17,97</b>	1282,23,74
निवेश / Investments	8	<b>30537,22,92</b>	28075,92,93
अग्रिम / Advances	9	<b>81532,26,91</b>	64051,01,17
अचल आस्तियाँ / Fixed Assets	10	<b>742,02,91</b>	769,52,45
अन्य आस्तियाँ / Other Assets	11	<b>3039,72,51</b>	2578,66,69
<b>योग / TOTAL</b>		<b>130255,66,53</b>	107132,28,01
आकस्मिक देयताएँ / Contingent Liabilities	12	<b>76368,42,97</b>	52323,51,33
वसूली के लिए बिल / Bills for Collection		<b>2020,43,35</b>	1866,33,32
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ / Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	18		

जॉर्ज जोसेफ  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी. के. नागर  
कार्यपालक निदेशक

आर. रामचन्द्रन  
कार्यपालक निदेशक

George Joseph  
Chairman & Managing Director

V. K. Nagar  
Executive Director

R. Ramachandran  
Executive Director

एम. दीनदयालन  
निदेशक

के. सीतारामु  
निदेशक

एम. भास्कर राव  
निदेशक

M. Deena Dayalan  
Director

K. Seetharamu  
Director

M. Bhaskara Rao  
Director

के. एस. ओबेरॉय  
निदेशक

ए.आर. नागप्पन  
निदेशक

रमेश अडिगे  
निदेशक

K. S. Oberoi  
Director

AR Nagappan  
Director

Ramesh Adige  
Director

बी. एस. सूरी  
निदेशक

डी. एस. पूजा  
निदेशक

एस. के. रुस्तगी  
निदेशक

B. S. Suri  
Director

D. S. Punja  
Director

S. K. Rustagi  
Director

एम. ओबुलेशु  
महा प्रबंधक (लेखा)

M. Obulesu  
General Manager (Accounts)

स्थान : बेंगलूर  
तारीख : अप्रैल 28, 2009  
वैशाख 10, 1931 शक

Place : Bangalore  
Date : April 28, 2009  
Vaisakha 10, 1931 Saka

# लाभ व हानि लेखा

# PROFIT & LOSS ACCOUNT

## 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2009

(हज़ार रुपयों में / Rs. in thousands)

	अनुसूची सं. Schedule No.	Year ended दि. 31-3-2009 को	Year ended दि. 31-3-2008 को
<b>I. आय / INCOME</b>		<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	9579,63,65	7906,31,05
अन्य आय / Other Income	14	860,37,48	890,05,45
<b>योग / TOTAL</b>		<b>10440,01,13</b>	<b>8796,36,50</b>
<b>II. व्यय / EXPENDITURE</b>			
व्ययगत ब्याज / Interest Expended	15	6977,59,80	5833,55,82
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	1715,96,76	1494,53,79
प्रावधान और आकस्मिकताएँ / Provisions and Contingencies		833,62,29	620,20,16
<b>योग / TOTAL</b>		<b>9527,18,85</b>	<b>7948,29,77</b>
<b>III. लाभ / हानि / PROFIT/LOSS</b>			
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / Net Profit for the year		912,82,28	848,06,73
आगे लाया गया लाभ / हानि (-) / Profit/Loss (-) brought forward		0	0
<b>योग / TOTAL</b>		<b>912,82,28</b>	<b>848,06,73</b>
<b>IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>			
सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		228,20,57	212,01,68
राजस्व आरक्षित निधि / Revenue Reserves		373,27,61	415,03,19
आरक्षित पूंजी / Capital Reserves		38,13,71	2,61
सामान्य निधि आयकर अधिनियम धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत / Special Reserves u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act		90,00,00	50,00,00
अंतरिम लाभांश (रु.13.31 करोड़ के लाभांश कर सहित, पूर्ववर्ती वर्ष रु.13.31 करोड़)		91,60,15	91,60,45
Interim Dividend (including Div. Tax of Rs.13.31 cr., previous year Rs.13.31 cr.)			
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (रु. 13.31 करोड़ के लाभांश कर सहित, पिछले वर्ष, रु.13.31 करोड़)		91,60,24	79,38,80
Proposed Final Dividend (including Div. Tax of Rs.13.31 cr., previous year Rs.13.31 cr.)		0	0
तुलन-पत्र को अग्रणीत शेषराशि / Balance carried over to the Balance Sheet		912,82,28	848,06,73
<b>योग / Total</b>		<b>912,82,28</b>	<b>848,06,73</b>
प्रति शेयर अर्जन / Earnings per Share (Rs.)		17.49	16.25
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ / Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	18		

मेसर्स एल. एस. नलवाया एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार

आशीष नलवाया  
साझेदार

सदस्यता सं.: 110922

मेसर्स बी. पी. राव एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार

सि. प्रशांत  
साझेदार

सदस्यता सं.: 214431

मेसर्स निर्मल जैन एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार

अनिल जैन  
साझेदार

सदस्यता सं.: 086556

मेसर्स वी. के. धींगरा एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार

संजय जिंदाल  
साझेदार

सदस्यता सं.: 087085

मेसर्स जी. वेणुगोपाल कामत एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार

आर. रामचंद्रन  
साझेदार

सदस्यता सं.: 023982

मेसर्स एन. सी. मित्रा एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार

ए. के. मित्रा  
साझेदार

सदस्यता सं.: 009351

M/s L. S. Nalwaya & Co.  
Chartered Accountants

Aashish Nalwaya  
Partner

Membership No.: 110922

M/s B. P. Rao & Co.  
Chartered Accountants

C. Prashanth  
Partner

Membership No.: 214431

M/s Nirmal Jain & Co.  
Chartered Accountants

Anil Jain  
Partner

Membership No.: 086556

M/s V. K. Dhingra & Co.  
Chartered Accountants

Sanjay Jindal  
Partner

Membership No.: 087085

M/s G. Venugopal Kamath & Co.  
Chartered Accountants

R. Ramachandran  
Partner

Membership No.: 023982

M/s N. C. Mitra & Co.  
Chartered Accountants

A. K. Mitra  
Partner

Membership No.: 009351

अनुसूची – 1 : पूँजी  
SCHEDULE – 1 : CAPITAL

(हजार रुपयों में /Rs. in thousands)

	As on दि. 31-3-2009 को	As on दि. 31-3-2008 को
प्राधिकृत पूँजी 150,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10 AUTHORISED CAPITAL: 150,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each	1500,00,00	1500,00,00
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त मांगी गई पूँजी 52,19,68,282 इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10 (केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित 34,69,68,282 शेयर शामिल हैं) ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED & PAID UP CAPITAL 52,19,68,282 Equity Shares of Rs. 10 each (Includes 34,69,68,282 shares held by Central Government)	521,96,83	521,96,83
योग/TOTAL	521,96,83	521,96,83

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष  
SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

	As on दि. 31-3-2009 को		As on दि. 31-3-2008 को	
I. सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves				
अथशेष / Opening Balance	1051,44,53	1279,65,10	839,42,85	1051,44,53
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	228,20,57		212,01,68	
II. आरक्षित पूँजी / Capital Reserves				
अथशेष / Opening Balance	16,87,40	55,01,11	16,84,79	16,87,40
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	38,13,71		2,61	
III. शेयर प्रीमियम / Share Premium		200,00,00		200,00,00
IV. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि / Revaluation Reserves				
अथशेष / Opening Balance	426,27,54	414,95,02	438,13,57	426,27,54
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0		0	
वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	426,27,54		438,13,57	
	11,32,52		11,86,03	
V. सामान्य आरक्षित निधि / General Reserves				
अथशेष / Opening Balance	576,18,38	576,18,38	576,18,38	576,18,38
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0		0	
VI. राजस्व और अन्य आरक्षित निधि Revenue and Other Reserves				
अथशेष / Opening Balance	1445,55,16	1818,82,77	1030,51,97	1445,55,16
जोड़ें : लाभ व हानि लेखे से शेष का अंतरण Add: Transfer of Balance from Profit & Loss Account	373,27,61		415,03,19	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती / Less: Deductions during the Year	0		0	
VII. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि Foreign Currency Translation Reserve				
अथशेष / Opening Balance	3,14,86	3,42,81	3,59,14	3,14,86
जोड़ें / (घटाएँ) : वर्ष के दौरान समायोजन Add / (Less): Adjustments during the year	27,95		- 44,28	
VIII. आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट अधिशेष / Special Reserve u/s 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961				
अथशेष / Opening Balance	50,00,00	140,00,00	0	50,00,00
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year	90,00,00		50,00,00	
IX. लाभ-हानि लेखे में शेष / Balance in Profit and Loss Account		0		0
योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)		4488,05,19		3769,47,87

**अनुसूची – 3: जमाराशियाँ**  
**SCHEDULE – 3: DEPOSITS**

(हजार रुपयों में / Rs. in thousands)

	As on दि. 31-3-2009 को	As on दि. 31-3-2008 को
क./A. I. मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	504,65,57	352,30,20
ii) अन्यो से/From Others	10022,17,05	10334,98,17
II. बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits	21455,59,05	18765,24,29
III. सावधि जमाराशियाँ/Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	9702,13,35	3917,05,62
ii) अन्यो से/From Others	74200,59,05	61801,22,19
योग/TOTAL (I+II+III)	115885,14,07	95170,80,47
ख./B. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	108688,20,34	90853,75,66
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	7196,93,73	4317,04,81
योग/TOTAL	115885,14,07	95170,80,47

**अनुसूची – 4: उधार**  
**SCHEDULE – 4: BORROWINGS**

I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	0	0
ii) अन्य बैंक/Other Banks	10,61	2,65,91
iii) अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ/Other Institutions and Agencies	1680,37,09	603,01,69
योग/TOTAL	1680,47,70	605,67,60
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	509,99,94	700,48,81
योग/TOTAL (I + II)	2190,47,64	1306,16,41
उपर्युक्त I और II में प्रतिभूत उधार शामिल हैं Secured borrowings included in I and II above	0	0

**अनुसूची – 5: अन्य देयताएँ और प्रावधान**  
**SCHEDULE – 5: OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**

I. देय बिल/Bills payable	910,13,07	1548,03,82
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	0	0
III. उपचित ब्याज/Interest Accrued	508,94,63	441,22,87
IV. अरक्षित प्रतिदेय बंधपत्र/Unsecured Redeemable Bonds		
I चरण की पूंजी/Tier I Bonds (IPDI)	579,00,00	240,00,00
II चरण की पूंजी/Tier II Bonds	2644,70,00	2344,70,00
V. मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान Contingent Provision against Standard Assets	395,89,14	375,53,23
VI. अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	2131,35,96	1414,36,51
योग/TOTAL (I + II + III + IV + V + VI)	7170,02,80	6363,86,43

**अनुसूची – 6: भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि**  
**SCHEDULE – 6: CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**

I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	334,43,46	401,82,66
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि/Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में/In Current Account	12208,79,85	9973,08,37
अन्य खातों में/In Other Accounts	0	0
योग/TOTAL (I + II)	12543,23,31	10374,91,03

अनुसूची – 7: बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

SCHEDULE – 7: BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(हजार रुपयों में /Rs. in thousands)

	As on दि. 31-3-2009 को	As on दि. 31-3-2008 को
I. भारत में/In India		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
क)/a) चालू खातों में/ in Current Accounts	109,21,00	236,83,95
ख)/b) अन्य जमा खातों में/ in Other Deposit Accounts	1,40,05	40,15,86
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि Money at call and short notice		
क)/a) बैंकों के पास/With banks	1064,80,11	400,00,00
ख)/b) अन्य संस्थाओं के पास/ With other Institutions	0	0
योग/Total	1175,41,16	676,99,81
II. भारत के बाहर/Outside India		
क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	685,76,81	103,42,70
ख)/b) अन्य जमा खातों में/ in other Deposit Accounts	0	501,81,23
ग)/c) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/ Money at call and short notice	0	0
योग/Total	685,76,81	605,23,93
योग/Total (I + II)	1861,17,97	1282,23,74

अनुसूची – 8: निवेश

SCHEDULE – 8: INVESTMENTS

I. भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)	30293,10,40	27834,68,77
घटाएं: मूल्यहास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान /Less: Provision for depreciation/NPI	115,55,34	65,63,92
शुद्ध निवेश/Net Investments	30177,55,06	27769,04,85
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	27321,16,87	25146,93,95
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other approved securities	123,20,55	153,49,41
iii) शेयर/Shares	193,23,17	374,82,19
iv) डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	1720,65,30	1724,61,54
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and/or Joint Ventures	33,59,84	33,59,84
vi) अन्य/Others	785,69,33	335,57,92
योग/ Total	30177,55,06	27769,04,85
II. भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments outside India (Gross)	390,72,98	322,01,14
घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation	31,05,12	15,13,06
शुद्ध निवेश/Net Investments	359,67,86	306,88,08
योग/Total (I + II)	30537,22,92	28075,92,93



अनुसूची – 9: अग्रिम  
SCHEDULE – 9: ADVANCES

(हजार रुपयों में / Rs. in thousands)

	As on दि. 31-3-2009 को	As on दि. 31-3-2008 को
क./A. i) खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills purchased and discounted	1640,43,14	1280,24,68
ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	19820,20,81	16739,06,24
iii) मीयादी ऋण/Term loans	60071,62,96	46031,70,25
<b>योग/Total</b>	<b>81532,26,91</b>	<b>64051,01,17</b>
ख./B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा सुरक्षित Secured by tangible assets	51845,39,67	43022,23,56
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	4169,20,21	2892,10,85
iii) अरक्षित/Unsecured	25517,67,03	18136,66,76
<b>योग/Total</b>	<b>81532,26,91</b>	<b>64051,01,17</b>
ग./C. i) <b>भारत में अग्रिम/Advances in India</b>		
i) प्राथमिकता क्षेत्रक/Priority Sector	26393,25,12	20580,36,12
ii) सार्वजनिक क्षेत्रक/Public Sector	9589,67,63	6782,34,97
iii) बैंक/Banks	1906,07,20	493,77,64
iv) अन्य/Others	35314,10,27	30192,48,95
<b>योग/Total</b>	<b>73203,10,22</b>	<b>58048,97,68</b>
ii) <b>भारत के बाहर के अग्रिम/Advances Outside India</b>		
i) बैंकों से देय/Due from Banks	5893,08,48	4569,79,74
ii) अन्यो से देय/Due from others		
क)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/Bills Purchased and Discounted	440,20,06	8,25,02
ख)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	1556,33,02	810,04,88
ग)/c) अन्य/Others	439,55,13	613,93,85
<b>योग/Total</b>	<b>8329,16,69</b>	<b>6002,03,49</b>
<b>योग/Total (ग. I + ग II) (C.I + C. II)</b>	<b>81532,26,91</b>	<b>64051,01,17</b>

अनुसूची – 10: अचल आस्तियाँ  
SCHEDULE – 10: FIXED ASSETS

I. <b>परिसर/Premises</b> पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर At cost/revaluation as on 31st March of the preceding year	536,04,33	516,16,76
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	4,22,66	21,72,78
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/adjustments during the year	1,50,67	1,85,21
	538,76,32	536,04,33
घटाएँ: अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date	44,66,52	28,26,07
<b>कुल/Total</b>	<b>494,09,80</b>	<b>507,78,26</b>
II. <b>प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital Work in progress</b>	<b>21,87,09</b>	<b>14,22,63</b>
III. <b>अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और उपस्कर सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)</b>		
पिछले वर्ष के मार्च 31 की लागत पर/At Cost as on 31st March of the preceding year	617,26,10	525,83,10
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	88,06,44	105,02,98
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	19,09,10	13,59,98
	686,23,44	617,26,10
घटाएँ: अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date	460,17,42	369,74,54
<b>योग/Total</b>	<b>226,06,02</b>	<b>247,51,56</b>
<b>योग/Total (I + II + III)</b>	<b>742,02,91</b>	<b>769,52,45</b>

**अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ**  
**SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS**

(हजार रुपयों में / Rs. in thousands)

	As on दि. 31-3-2009 को	As on दि. 31-3-2008 को
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter-Office Adjustments (Net)	635,43,72	324,95,47
II. उपचित ब्याज / Interest accrued	681,41,34	665,95,02
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	509,54,95	613,99,58
IV. लेखन सामग्री व स्टॉप / Stationery and Stamps	12,13,93	10,47,23
V. दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यहास घटाकर) Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (Net of depreciation)	4,10	7,20
VI. अन्य / Others	1201,14,47	963,22,19
<b>योग / TOTAL</b>	<b>3039,72,51</b>	<b>2578,66,69</b>

**अनुसूची – 12: आकस्मिक देयताएँ**  
**SCHEDULE – 12: CONTINGENT LIABILITIES**

I. बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं Claims against the bank not acknowledged as debts	125,27,69	75,61,17
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता / जोखिम निधि Liability for partly paid investments/Venture Funds	6,14,77	5,63,01
III. बकाया वायदा विनिमय सविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	65949,98,25	43907,25,52
IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
क) / a) भारत में / In India	5759,57,09	4882,73,92
ख) / b) भारत के बाहर / Outside India	100,53,40	119,28,10
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	3473,25,83	2764,17,84
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	953,65,93	568,81,77
<b>योग / TOTAL</b>	<b>76368,42,97</b>	<b>52323,51,33</b>

**अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज**  
**SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED**

I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills	7375,77,19	5715,04,61
II. निवेशों पर आय / Income on Investments	2082,63,28	2071,99,40
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	69,50,83	59,07,20
IV. अन्य / Others	51,72,35	60,19,84
<b>योग / TOTAL</b>	<b>9579,63,65</b>	<b>7906,31,05</b>

**अनुसूची – 14: अन्य आय**  
**SCHEDULE – 14: OTHER INCOME**

(हजार रुपयों में /Rs. in thousands)

	Year ended दि. 31-3-2009 को	Year ended दि. 31-3-2008 को
I. कमीशन, विनिमय और दलाली / Commission, Exchange and Brokerage	267,87,24	250,10,31
II. विनिधानों की बिक्री से प्राप्त लाभ / Profit on sale of investments	193,22,49	336,31,31
घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि / Less: Loss on sale of investments	—	—
III. विनिधानों के पुनर्मूल्यन पर लाभ / Profit on revaluation of investments	—	—
घटाएँ: विनिधानों की बिक्री से हुई हानि / Less: Loss on revaluation of investments	(47,82,52)	(49,61,34)
IV. जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	48,30	43,27
घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of land, buildings & other assets	(31,79)	(50,56)
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ / Profit on exchange transactions	86,50,80	67,51,59
घटाएँ / Less: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि / Loss on exchange transactions	(4,64)	(25,52)
VI. भारत में स्थित कंपनियों से लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय / Income earned by way of dividend etc. from companies in India	6,46,06	6,42,61
VII. विविध आय / Miscellaneous Income	354,01,54	279,63,78
<b>योग / TOTAL</b>	<b>860,37,48</b>	<b>890,05,45</b>

**अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज**  
**SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED**

I. जमा राशियों पर ब्याज / Interest on Deposits	6610,30,56	5547,01,93
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / Inter bank borrowings	6,95,12	6,29,00
III. अन्य / Others	360,34,12	280,24,89
<b>योग / TOTAL</b>	<b>6977,59,80</b>	<b>5833,55,82</b>

**अनुसूची – 16: परिचालन व्यय**  
**SCHEDULE – 16: OPERATING EXPENSES**

I. कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for Employees	1045,15,63	928,91,41
II. किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and Lighting	120,69,00	101,57,62
III. मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and Stationery	14,26,83	14,25,06
IV. विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and Publicity	22,52,10	12,81,70
V. बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Bank's property	113,02,26	103,05,24
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च Directors' Fees, Allowances and Expenses	93,02	84,32
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	20,12,19	21,45,64
VIII. विधि प्रभार / Law Charges	7,87,03	4,12,03
IX. डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि Postage, Telegrams, Telephones etc.	19,37,46	19,52,72
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance	57,93,94	44,57,42
XI. बीमा / Insurance	91,21,03	76,38,01
XII. अन्य व्यय / Other Expenditure	202,86,27	167,02,62
<b>योग / TOTAL</b>	<b>1715,96,76</b>	<b>1494,53,79</b>

- 1.0 **लेखाकरण प्रथा**  
संलग्न वित्तीय विवरण 'लाभकारी कारोबार वाला संस्थान सिद्धांत' का पालन करते हुए सामान्यतः परंपरागत लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये अन्यथा सूचित मामलों को छोड़कर सांविधिक उपबंधों और प्रचलित क्रियाविधियों के अनुसार हैं।
- 2.0 **विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन**
- 2.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा अधिसूचित विनिमयदरों को अपनाया गया है।
- 2.2 फॉरेक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन-देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यू.ए.आर.) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है। जबकि सभी फॉरेक्स आस्तियों को प्रचलित बाजार दरों पर अभिलेखित किया गया है।
- 2.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है।
- 2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विशिष्ट परिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा "बीच की परिपक्वताओं" वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है।
- 2.5 गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठकर्मों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- 2.6 बैंक की विदेशी शाखा को "गैर समाकलित विदेशी परिचालन" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।  
क) विदेशी संचालनों के सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों, को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया।  
ख) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया।  
ग) ए.एस. 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी परिचालन के निवल निवेश का निपटान होने तक "विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि" में जमा किया गया।
- 3.0 **निवेश**
- 3.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं।  
1. परिपक्वता तक धारित  
2. विक्रय के लिए उपलब्ध  
3. व्यापार के लिए धारित  
प्रत्येक वर्ग को निम्नलिखित श्रेणियों के वर्गीकृत किया गया:  
क) सरकारी प्रतिभूतियां ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां  
ग) शेयर घ) डिबेंचर और बांड पत्र  
ड) अनुषंगी तथा च) अन्य
- 3.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है।
- 3.2.1 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन निवेश का मूल्यांकन अर्जन लागत के आधार पर किया जाता है, सिवाय उस मामले के जब उसका अर्जन प्रीमियम पर किया जाए तब इस मामले में प्रीमियम का परिशोधन सीधी लाइन पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है।
- 3.2.2 विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणी के अधीन धारित निवेश का मूल्य निर्धारण लागत या बाजार मूल्य इनमें जो कम हो, के आधार पर किया जाता है। अलग-अलग शेयरों का मूल्य निर्धारण किया जाता है और तुलन-पत्र में निवेश के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यहास/मूल्यवृद्धि का समुच्चयन श्रेणीवार किया जाता है। शुद्ध मूल्यहास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
- 3.2.3 व्यापार के लिए धारित श्रेणी के अधीन, निवेश बाजार के लिए चिह्नित किए गए हैं और परिणामी मूल्यवृद्धि/मूल्यहास का संकलन तुलन पत्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रवर्ग वार किया जाता है। शुद्ध मूल्यहास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- 3.2.4 मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए -  
i) लागत का संदर्भ अर्जन की वास्तविक लागत/प्रचलित लागत से है जहाँ कहीं लागू होता हो  
ii) बाजार मूल्य का संदर्भ, शेयर बाजार/भाव, एस.जी.एल. खाता लेन-देन, भार.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आई. नवीनतम उपलब्ध मूल्य सूची से है और ऐसे कोटेशन के अभाव में :  
क) सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, एफ.आई.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आई. की कीमतों/परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वाइ.टी.एम.) दरों के आधार पर, भार.रि.बैं. द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाएगा।

- 1.0 **ACCOUNTING CONVENTIONS**  
The accompanying financial statements are prepared following the 'Going Concern' concept on historical cost basis and conform to the statutory provisions and prevailing practices of the countries concerned, except wherever otherwise stated.
- 2.0 **TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE**
- 2.1 Exchange rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.
- 2.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying weekly average rate (WAR) published by FEDAI whereas all forex assets are recorded at on going market rates.
- 2.3 All the monetary assets & liabilities are reported at the end of the year at closing exchange rate and the resultant profit / loss is taken to revenue.
- 2.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities".
- 2.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at closing exchange rates.
- 2.6 Foreign Branch of the Bank is classified as "Non-Integral Foreign Operation"  
a) All assets & liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.  
b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.  
c) The resulting exchange difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign operation.
- 3.0 **INVESTMENTS**
- 3.1 In accordance with guidelines of RBI, investments in India are classified into:  
1. Held to Maturity  
2. Available for Sale  
3. Held for Trading  
Each category is further classified into:  
a) Government Securities b) Other Approved Securities  
c) Shares d) Debentures & Bonds  
e) Subsidiaries/Joint Ventures f) Others
- 3.2 Investments are valued in accordance with RBI guidelines.
- 3.2.1 Investments under Held to Maturity are valued at cost of acquisition, except where it is acquired at premium in which case the premium is amortised over the remaining period of maturity using Straight Line Method.
- 3.2.2 Investments held under Available for Sale category are valued at cost or market value, whichever is lower. Individual scripts are valued and depreciation/appreciation is aggregated category-wise as per the classification of investments in the Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.
- 3.2.3 Investments under Held for Trading category are marked to market and the resultant appreciation/depreciation is aggregated category-wise as per Balance Sheet classification. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.
- 3.2.4 For the purpose of valuation -  
I) Cost refers to actual cost of acquisition / carrying cost, wherever applicable.  
II) Market value refers to latest available price from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI / FIMMDA / PDAI as such:  
a) Government Securities and Other Approved Securities are valued on the basis of prices / Yield to Maturity (YTM) rates of FIMMDA / PDAI with appropriate spreads as prescribed by RBI.

- ख) डिबेंचरों/बंधपत्रों का मूल्य निर्धारण, पी.डी.ए.आइ./एफ.आइ.एम. एम.डी.ए. द्वारा यथा निर्दिष्ट समुचित कीमत - लागत अंतर के साथ वाइ.टी.एम. आधार पर किया जाएगा।
- ग) तिजोरी बिल, आर.आई.डी.एफ. वाणिज्यिक पत्र और वित्तीय संस्थाओं में स्थित सावधि धन का मूल्य निर्धारण लागत के आधार पर किया जाता है।
- घ) अधिमूल्य शेयरों का मूल्य निर्धारण वाइ.टी.एम. आधार पर किया जाएगा।
- ङ) शेयरों का मूल्य निर्धारण अंतिम सौदा मूल्य पर या जहाँ भाव उपलब्ध नहीं है वहाँ अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन रिजर्व पर ध्यान दिए बिना) पर किया जाएगा।
- च) क्षेत्र. ग्रा. बैंकों में किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया गया है (यानी बही मूल्य)।
- छ) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.)/पुनर्निर्माण कंपनी (आर.सी.) द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों का मूल्य निर्धारण भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार एक रुपए पर किया गया।
- ज) जोखिम पूंजी निधियों (वी.सी.एफ.) की यूनिटों का मूल्य निर्धारण वी.सी.एफ. द्वारा, अपने 18 महीने से अधिक पुराने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए एन.ए.वी. पर किया गया।
- झ) म्यूच्युअल फंड में इकाइयों का मूल्य निर्धारण पुनः खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है।
- 3.2.5 निवेशों का वर्गीकरण उनके निष्पादन और भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार, अग्रिमों पर लागू होनेवाले आइ.आर.ए.सी. मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधान के आधार पर किया गया। अनुत्पादक निवेशों पर किये गये प्रावधान का समंजन अन्य अर्जक निवेशों से संबंधित मूल्यवृद्धि के प्रति नहीं किया गया।
- 3.3 परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में प्रतिभूतियों के विक्रय/निपटान संबंधी अनुलाभ, यदि कोई हो, लाभ हानि लेखे के जरिए पूंजी रिजर्व को लाया जाता है।
- 3.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण इस तरह से अंतरित प्रतिभूतियों पर मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करने के पश्चात किया जाता है।
- 3.5 विदेशी शाखा में अस्थायी दर वाले नोट तथा उधार संबद्ध नोटवाले निवेशों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया। इन निवेशों को त्रैमासिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित किया गया है और जहाँ इन निवेशों का मूल्य अंकित मूल्य से कम हुआ है वहाँ, इस संबंध में, तुलना-पत्र में मूल्यहास के लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए लाभ व हानि लेखे में प्रभार अंकित किया गया है।
- 3.6 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है। प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली/कमीशन/स्टॉप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाएगा।
- 4.0 **व्युत्पन्न**
- 4.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।
- 4.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाएगा और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाएगा।
- 4.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनका उचित मूल्य पर आंका जाएगा।
- 4.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया जाएगा।
- 4.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाएगा जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाएगा।
- 4.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाएगा और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाएगा और मितिकालों के अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा।
- 5.0 **अग्रिम**
- 5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाता है।
- 5.2 अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है सिवाय उन मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों के मामले में, जिन्हें "अन्य देयताओं और प्रावधानों" में शामिल किया गया है।
- b) Debentures / Bonds are valued on YTM basis with appropriate spreads as prescribed by PDAI / FIMMDA.
- c) Treasury Bills, RIDF, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at cost.
- d) Preference Shares are valued on YTM basis.
- e) Equity Shares are valued at last traded prices and where the shares are not quoted on stock exchanges, the unquoted shares are valued at breakup value (without considering 'revaluation reserves', if any) as per the latest available balance sheet or at Re. 1 per company, where latest balance sheet is not available.
- f) Investment in RRBs is valued at carrying cost (i.e. book value)
- g) Security Receipts issued by Securitisation Companies (SC)/ Reconstruction Company (RC) are valued/classified as per the norms applicable to investment in Non SLR instruments as prescribed by RBI from time to time.
- h) Units of Venture Capital Funds (VCF) are valued at NAV shown by the VCF in its financial statements not older than 18 months.
- i) Units in mutual fund are valued at repurchase price or Net Asset Value, whichever is lower.
- 3.2.5 Investments are also categorised based on their performance and provisions are made as per IRAC norms applicable to advances as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.
- 3.3 Gain, if any, on sale / disposal of securities in the Held to Maturity category is taken to Capital Reserve through the Profit and Loss Account.
- 3.4 Transfer of securities from one category to another is effected after providing for depreciation, if any, on the securities so transferred.
- 3.5 Floating Rate Note and Credit Linked Note investments at Foreign Branch are classified as Available For Sale and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value, a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a charge is recognized in the Profit and Loss Account.
- 3.6 Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/commission/stamp duty paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenses.
- 4.0 **DERIVATIVES**
- 4.1 The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.
- 4.2 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- 4.3 Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.
- 4.4 The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted on interest accrual basis.
- 4.5 Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at fortnightly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.
- 4.6 Premium at the time of purchase if any is amortized over the residual period of the transactions and profit is recognised on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.
- 5.0 **ADVANCES**
- 5.1 Advances are classified into Performing and Non-Performing Assets and provisions for loan losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.
- 5.2 Advances are stated net of provisions made for Non-Performing Assets except general provisions for Standard Advances and provision held for sold assets, which have been included in 'Other Liabilities and Provisions'.

6.0	<b>परिसर और अन्य अचल आस्तियाँ</b>	6.0	<b>PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS</b>
6.1	परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यहास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और / या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है। परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।	6.1	Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every five years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.
6.2	परिसर पर मूल्यहास का प्रावधान समिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।	6.2	Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.
6.3	परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान अनूया उल्लिखित के सिवाय निम्नलिखित दरों पर हासमान शेष प्रणाली के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है :	6.3	Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:
क) भवन		अ) PREMISES:	
i) बैंक के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए)	5%	i) Bank owned (freehold/leasehold)	5 %
ii) पट्टे पर लिये गये परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है	10%	ii) Capital Expenditure on premises taken on lease – where lease period is not specified	10 %
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित	– where lease period is specified	amortised over the residual period of lease.
ख) अन्य आस्तियाँ		ब) OTHER ASSETS:	
i) फर्नीचर	10%	i) Furniture	10 %
ii) उपस्कर, टाइपराइटर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस. जनरेटर आदि	15%	ii) Fixtures, typewriters, other equipments, UPS, generators, etc.	15 %
iii) वाहन	20%	iii) Vehicles	20 %
iv) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	40%	iv) Electronic equipments	40 %
v) कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति)	33.33%	v) Computers & Operating Software (Straight Line Method)	33.33 %
6.4	अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान, पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन सॉफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यहास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है।	6.4	Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.
7.0	<b>सेवानिवृत्ति लाभ</b>	7.0	<b>RETIREMENT BENEFITS</b>
7.1	कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि के लिए विकल्प दिए हैं, उनके मामले में सांविधिक अंशदान किया जाता है और अन्य कर्मचारी जिन्होंने पेंशन के लिए विकल्प दिए हैं उनके संबंध में पेंशन निधि को अंशदान, वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है।	7.1	Statutory contribution is made to Provident Fund Trust in respect of employees who have opted for Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation.
7.2	उपदान निधि के प्रति अंशदान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।	7.2	Contribution to Gratuity Fund Trust is based on actuarial valuation.
7.3	छुट्टी नकदीकरण सुविधा की देयता को वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार, उपचय आधार पर उपलब्ध करते हैं।	7.3	Liability towards leave encashment is provided on accrual basis as per actuarial valuation
8.0	<b>राजस्व का निर्धारण</b>	8.0	<b>REVENUE RECOGNITION</b>
क) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूचुअल फंड संयंत्रों पर शुल्क/कमीशन, गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया, परिपक्व जमा राशियाँ/अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय, दावा दाखर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।		अ) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees/ commission on transactions with Mutual Funds, income on non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills/tax refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted on cash basis.	
ख) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उस से प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।		ब) Income from dividend on shares is accounted on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.	
ग) अतिदेय जमा राशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाएगा। परिपक्व जमा राशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रावधान किया गया है।		क) Interest on overdue deposits is accounted for at the time of renewal. In respect of matured deposits provision has been made as per the RBI guidelines.	
घ) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।		द) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue as per RBI guidelines.	
ड) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बॉड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभावित कर दिया जाता है।		इ) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.	
च) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।		फ़) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is complete.	
9.0	<b>आय कर</b>	9.0	<b>TAXES ON INCOME</b>
9.1	चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।	9.1	Current tax is determined as per the provisions of the Income tax Act, 1961.
9.2	कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आइ.सी.ए.आइ. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।	9.2	Deferred tax assets and liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of deferred tax assets in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

10.0	<b>देश-विदेश जोखिम प्रबंधन</b> बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार, देश विदेश जोखिम प्रबंधन नीति, अपनाई है।	10.0	<b>COUNTRY RISK MANAGEMENT</b> The Bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines.
11.0	<b>सोने के सिक्के</b> आयातित सोने के सिक्कों के स्टॉक का मूल्य निर्धारण, लागत पर या बाज़ार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है।	11.0	<b>GOLD COINS</b> Stock of imported gold coins is valued at cost or market price, whichever is lower.
12.0	<b>निवल लाभ</b> निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है : – आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान – अनर्जक अग्रिमों और विनिधानों के लिए प्रावधान/अपलेखन – मानक आस्तियों के प्रावधान – विनिधान पर मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के लिए समायोजन – आकस्मिकताओं का अंतरण – अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान	12.0	<b>NET PROFIT</b> Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions & Contingencies": – Provision for Income tax and Wealth tax – Provision/Write off of Non-Performing Advances and Investments – Provision on Standard Assets – Adjustment for appreciation/depreciation on Investments – Transfer to Contingencies – Other usual and necessary provisions.

## अनुसूची - 18 लेखा संबंधी टिप्पणियाँ -2008-2009

### 1. पूंजी

विवरण	31-3-2009	31-3-2008
i) जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (%) बासेल - I	11.37%	11.22%
ii) सी.आर.ए.आर. प्रथम चरण की पूंजी (%)	7.03%	6.62%
iii) सी.आर.ए.आर. द्वितीय चरण की पूंजी (%)	4.34%	4.60%
iv) भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता	66.47%	66.47%
v) द्वितीय चरण की पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण राशि (रु. करोड़)	1825.00	2344.70

नोट: बासेल-II मानदण्डों के अनुसार, दि. 31-03-2009 को बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.68% और दि.31-03-2008 को 11.82% है।

### 2. निवेश

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	2008-09	2007-08
(1) निवेश का मूल्य		
ii) निवेश का सकल मूल्य		
(क) भारत में	30293.10	27834.69
(ख) भारत के बाहर	390.73	322.01
iii) मूल्यहास और एन.पी.ए. के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	115.55	65.64
(ख) भारत के बाहर	31.05	15.13
iv) निवेश का निवल मूल्य		
(क) भारत में	30177.55	27769.05
(ख) भारत के बाहर	359.68	306.88
(2) निवेश के मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन		
प्रारंभिक शेषराशि	80.77	149.79
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	100.49	21.88
घटाए: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	34.66	90.90
इतिशेष	146.60	80.77

### क. रेपो लेन-देन

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि. 31-03-2009 को इतिशेष
रेपोज के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ	195.00	1450.00	211.04	500.00
रिवर्स रेपोज के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	200.00	7800.00	252.88	NIL

### ख. दि. 31-03-2009 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	निम्न "निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की मात्रा	अनिवारित प्रतिभूतियों की मात्रा	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1.	सा.क्षे.उ.	198.74	180.55	0.00	55.55	55.55
2.	वित्तीय संस्थाएँ	563.42	469.42	0.00	24.56	24.56
3.	बैंक	1058.77	724.35	0.00	147.27	296.53
4.	निजी कंपनी	358.49	358.49	0.00	3.16	3.16
5.	सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00
6.	अन्य	997.00	893.20	0.00	56.29	56.29
7.	घटाए: मूल्यहास के प्रति रखा गया प्रावधान	86.61	24.32	-	17.76	29.93
8.	कुल (1 से 6 घटाएँ 7)	3123.41	2635.29	0.00	269.07	406.16

(कॉलम, 4, 5, 6 और 7 में दी गई रकम परस्पर अन्य नहीं है)

## SCHEDULE - 18 NOTES ON ACCOUNTS - 2008-2009

### 1. CAPITAL

Particulars	31-3-2009	31-3-2008
i) Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) (%) Basel - I	11.37%	11.22%
ii) CRAR - Tier I Capital (%)	7.03%	6.62%
iii) CRAR - Tier II Capital (%)	4.34%	4.60%
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India	66.47%	66.47%
v) Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital (Rs. crores)	1825.00	2344.70

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31-03-2009 as per Basel II norms is 12.68% and as on 31-03-2008 was 11.82%.

### 2. INVESTMENTS

(Rs. in Crore)

Particulars	2008-09	2007-08
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	30293.10	27834.69
(b) Outside India	390.73	322.01
(ii) Provisions for Depreciation & NPA		
(a) In India	115.55	65.64
(b) Outside India	31.05	15.13
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	30177.55	27769.05
(b) Outside India	359.68	306.88
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
Opening balance	80.77	149.79
Add: Provisions made during the year	100.49	21.88
Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	34.66	90.90
Closing balance	146.60	80.77

### A. Repo Transactions

(Rs. in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Closing Balance as on 31-03-2009
Securities sold under Repos	195.00	1450.00	211.04	500.00
Securities purchased under Reverse Repos	200.00	7800.00	252.88	NIL

### B. Issuer composition of Non SLR investments as on 31-03-2009 (Rs. in Crore)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of private placement	Extent of "below investment grade" securities	Extent of "unrated" securities	Extent of "unlisted" securities
1	2	3	4	5	6	7
1.	PSUs	198.74	180.55	0.00	55.55	55.55
2.	Financial Institutions	563.42	469.42	0.00	24.56	24.56
3.	Banks	1058.77	724.35	0.00	147.27	296.53
4.	Private Corporates	358.49	358.49	0.00	3.16	3.16
5.	Subsidiaries/ Joint ventures	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00
6.	Others	997	893.20	0.00	56.29	56.29
7.	Less: Provision held towards depreciation	86.61	24.32	-	17.76	29.93
8.	TOTAL (1 to 6 minus 7)	3123.41	2635.29	0.00	269.07	406.16

(Amounts reported under Columns 4, 5, 6 & 7 above may not be mutually exclusive)



ग. अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-2009	31-03-2008
अथशेष	10.57	10.67
वर्ष के दौरान परिवर्धन	50.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.10
इति शेष	60.57	10.57
रखे गए कुल प्रावधान	20.57	10.57

घ. इक्विटी में निवेश और इक्विटी जैसे निवेशों की बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-2009	31-03-2008
इक्विटी शेयर	262.60	388.89
क्षे.ग्रा. बैंक	33.35	33.35
अनुषंगी कंपनी	0.25	0.25
वेंचर कैपिटल	97.83	88.55
परिवर्तनीय अधिमाम्य शेयर	0.00	2.10
इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटें	24.00	86.50

3. व्युत्पन्न

क. वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/विदेशी मुद्रा की अदला-बदली (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-2009	31-03-2008
i) अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	1587.26	1202.72
ii) यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती है तो, उठाई जाने वाली हानि	(8.87)	(1.80)
iii) अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपात्तिक प्रतिभूति	—	—
iv) अदला-बदली से उठनेवाले ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण*	—	—
v) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	(1.80)	0.26

\* बैंकिंग क्षेत्र के अलावा, मूल कंपनी ने केवल एक ही पार्टी के पास निवेश किया जो एक पावर परियोजना है।

ख. विनिमय व्यापारिक व्युत्पन्न – मुद्रा वायदे

बैंक ने एक्सचेंजों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार शुरू किया है। दि. 31-03-2009 को बकाया मुद्रा वायदे का एम.टी.एम. मूल्य रु. 203.14 करोड़ है, जिनमें से ओ.टी.एस. बाजार में सुरक्षित निवेश की राशि रु. 203.03 करोड़ है।

ग. व्युत्पन्न (डिआइवेटिव) में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक, बैंक और बैंकेतर काउंटर पार्टियों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वेप, करेंसी स्वेप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है।

- बैंक के पास संमिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत कोई निवेश नहीं है और नहीं उनके पास न्यून्-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है।
- व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नैगम कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन और अनुप्रवर्तन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- गैर बैंक ग्राहक सहित काउंटर पार्टियों की ऋण जोखिम का मूल्यांकन निर्धारित सीमा/सीमाओं के साथ उचित रीति से किया जाता है।
- ऋण जोखिम की निगरानी काउंटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करने, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करने और सी.सी.आई.एल./सी.एल.एस. के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करने के द्वारा की जाती है।
- मुद्रा वायदे से बैंक के लिए कोई ऋण जोखिम नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज कंपनियाँ भुगतान की गारंटी देती है।
- 50 मिलियन यू. एस. डालर की राशि तक, पाँच वर्ष की अवधि तक क्रॉस करेंसी स्वेप का लेन-देन करना, जिसमें कोई खुली स्थिति के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन होंगे। (गैर-मूल कंपनी ग्राहकों के लिए)

C. Non-performing Non-SLR Investments (Rs. in Crore)

Particulars	31-03-2009	31-03-2008
Opening balance	10.57	10.67
Additions during the year	50.00	0.00
Reduction during the year	0.00	0.10
Closing balance	60.57	10.57
Total provisions held	20.57	10.57

D. Investment in Equity and Equity like Investments outstanding (Rs. in Crore)

Particulars	31-03-2009	31-03-2008
Equity Shares	262.60	388.89
RRBs	33.35	33.35
Subsidiaries	0.25	0.25
Venture Capital	97.83	88.55
Convertible Preference Shares	0.00	2.10
Units of Equity Oriented Mutual Funds	24.00	86.50

3. DERIVATIVES

A. Forward Rate Agreements/ Interest Rate Swap/Cross Currency Swaps: (Rs. in Crore)

Items	31-03-2009	31-03-2008
i) The notional principal of the swap agreements	1587.26	1202.72
ii) Losses which would be incurred if the counter parties failed to fulfil their obligations under the agreements	(8.87)	(1.80)
iii) Collateral required by the Bank upon entering the swaps	—	—
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps*	—	—
v) The fair value of the swap book	(1.80)	0.26

\* Apart from the Banking Sector, we have exposures with only one party, which is into power projects.

B. Exchange Traded Derivatives – Currency Futures

The Bank has started proprietary trading of Currency Futures on the Exchanges. The MTM value of outstanding Currency Futures as on 31-03-2009 is Rs. 203.14 cr, out of which the hedged exposure in OTC market stands at Rs. 203.03 cr.

C. Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

Qualitative Disclosure

The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its balance sheet as well as for trading / market-making purposes. The Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter-parties.

- The Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interest and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management and Monitoring Department at Corporate Office, Bangalore.
- Credit risk of counter parties, including non-bank clients is properly appraised and limits fixed.
- Credit risk is monitored by setting counter party exposure limits, setting country risk exposure and mitigating settlement risk through CCIL/CLS.
- Currency Futures have no credit risk for the Bank as the exchanges guarantee payment.
- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 5 years, covering the same back-to-back without any open position and upto an amount of USD 50 Mio for non-Bank Company clients.

- केवल उन गैर-बैंक प्रति पार्टी के लिए करेंसी स्वैप लेन-देन किया जाएगा जिनका श्रेणी निर्धारण सी.आर.-01 से सी.आर.-02 है।
- मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को करेंसी स्वैप में शामिल करना, इस प्रकार कोई लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान करना।
- संचालनों को, काउंटर पार्टी बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- व्युत्पन्न लेन-देन के लिए चालू उधार निवेश पद्धति के आधार पर ऋण पर निगरानी रखता है।
- काउंटर पार्टी बैंक और गैर-बैंक प्रतिपार्टी के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से आंकन करता है।
- संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा संस्वीकृत समग्र पूरक सीमा के भीतर किया जाता है।
- प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाएगा और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाएगा।
- लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, उसे उचित मूल्य पर आंका जाएगा।
- समर्थन आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्तियों एवं देयताओं से संबंधित जोखिमों की प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण ब्याज उपचय आधार पर किया जाएगा और उसे तदनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा।
- खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर किया जाएगा। परिपक्व होने पर लाभ दर्ज किया जाएगा। बढ़ता घटक को, अग्रिमों से प्राप्त आय लेखें में रखा जाएगा और परिपक्व होने पर उसे लाभ व हानि लेखें में विनियोग किया जाएगा।
- प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है।
- उन निवल निधीकृत देशी ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है जहाँ ऋण राशि बैंक की आस्तियों के 1% या उस से अधिक है।
- विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को पाक्षिक आधार पर बाज़ार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्शिक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- बैंक की लंदन शाखा, एफ.आर.ए. और आई.आर.एस. को केवल प्रतिरक्षा उद्देश्य के लिए करती है और ब्याज का लेखाकरण उपचय आधार पर करती है।
- 84% व्युत्पन्न, एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं।

- Currency swaps are undertaken for non-bank counter-party with ratings CR-01 to CR-02 only.
- Cover currency swaps are undertaken both principal and interest back-to-back thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- The transactions with our counter party banks and non-bank counter-party are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counter-party are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- Credit exposure for derivative transactions are monitored on the basis of current credit exposure method.
- ISDA agreements are executed / exchanged with every counter-party bank and non-bank counter-party.
- Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits sanctioned by the Board.
- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on the Bank's assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognised on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L Account on maturity.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which become naked resulting in mark-to-market losses.
- Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the Bank's assets.
- Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- The Bank's branch at London is undertaking FRAs and IRS for hedging purpose only and accounting interest on accrual basis.
- 84% of Derivatives fall under the short tenure of less than one year.

#### मात्रात्मक प्रकटीकरण:

दि. 31-03-2009 को मात्रात्मक निवेश

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1.	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि) क) प्रतिरक्षा के लिए ख) व्यापार के लिए	301.92 0.00	1587.26 0.00
2.	बाज़ार स्थितियों को अंकित क) आस्तियाँ (+) ख) देयताएँ (-)	7.42 0.00	0.00 (1.80)
3.	ऋण विनिवेश	52.71	8.87
4.	ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवी 01) क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्नों पर ख) व्यापार व्युत्पन्नों पर	0.24 0.00	3.33 0.00
5.	वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम क) प्रतिरक्षा पर न्यूनतम अधिकतम ख) व्यापार पर न्यूनतम अधिकतम	0.22 0.28 0.00 0.00	0.38 3.41 0.00 0.00

#### Quantitative Disclosure

Quantitative Exposures as on 31-03-2009

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1.	Derivatives (Notional Principal amount) a) For Hedging b) For Trading	301.92 0.00	1587.26 0.00
2.	Marked-to-Market Positions a) Assets (+) b) Liabilities (-)	7.42 0.00	0.00 (1.80)
3.	Credit Exposure	52.71	8.87
4.	Likely impact of 1% change in Interest rates (100* PV 01) a) For Hedging b) For Trading	0.24 0.00	3.33 0.00
5.	Maximum and Minimum of 100* PV 01 observed during the year a) For Hedging Minimum Maximum b) For Trading Minimum Maximum	0.22 0.28 0.00 0.00	0.38 3.41 0.00 0.00

#### देश जोखिम प्रबंधन

बैंक ने दि.31-03-2009 तक विभिन्न देशों में किए गए अपने निवल निधिक निवेशों का विश्लेषण किया है और युनाइटेड किंगडम को छोड़कर अन्य देशों में किए गए ऐसे निवेशों की राशि बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम है। युनाइटेड किंगडम के मामले में जिसे ई.सी.जी.सी. लिमिटेड द्वारा नागण्य श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, रु.1.97 करोड़ का प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष रु.1.57 करोड़)।

#### 4. आस्ति गुणवत्ता

##### क. अनर्जक आस्ति

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-2009	31-03-2008
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	<b>0.77</b>	0.97
(ii) सकल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेष राशि	<b>1768.65</b>	1559.81
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	<b>960.70</b>	1265.41
ग) वर्ष के दौरान कटौती	<b>1134.81</b>	1056.57
घ) इतिशेष	<b>1594.54</b>	1768.65
(iii) निवल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेषराशि	<b>622.73</b>	391.01
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	<b>696.38</b>	878.94
ग) वर्ष के दौरान कटौती	<b>687.34</b>	647.22
घ) इतिशेष	<b>631.77</b>	622.73
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)		
क) प्रारंभिक शेषराशि	<b>1107.40</b>	1135.75
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	<b>380.83</b>	385.87
ग) अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	<b>562.19</b>	414.22
घ) इतिशेष	<b>926.04</b>	1107.40

#### ख. पुनर्निर्धारित ऋण आस्तियों के विवरण

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-2009	31-03-2008
(i) पुनर्निर्धारित, पुनःप्रक्रामित ऋण आस्तियों की कुल राशि	<b>3381.69</b>	508.05
जिसमें से सी.डी.आर. के अधीन	<b>85.58</b>	84.50
जिसमें से एस.एम.ई.	<b>427.69</b>	7.55
जिसमें से अन्य	<b>2878.42</b>	416.00
(ii) पुनर्निर्धारित, पुनःप्रक्रामित मानक आस्तियों की कुल राशि	<b>3283.85</b>	424.69
जिसमें से सी.डी.आर. के अधीन	<b>69.22</b>	45.35
जिसमें से एस.एम.ई.	<b>413.90</b>	7.55
जिसमें से अन्य	<b>2800.73</b>	371.79
(iii) पुनर्निर्धारित, पुनःप्रक्रामित अवमानक आस्तियों की राशि;	<b>21.21</b>	58.65
जिसमें से सी.डी.आर. के अधीन	<b>0.51</b>	9.11
जिसमें से एस.एम.ई.	<b>2.62</b>	0
जिसमें से अन्य	<b>18.08</b>	49.54
(iv) पुनर्निर्धारित, पुनःप्रक्रामित संदिग्ध आस्तियों की राशि	<b>76.63</b>	24.71
जिसमें से सी.डी.आर. के अधीन	<b>15.85</b>	22.28
जिसमें से एस.एम.ई.	<b>1.17</b>	0
जिसमें से अन्य	<b>59.61</b>	2.43

#### ग. प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	2008-09	2007-08
(i) खातों की संख्या	<b>0</b>	1
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	<b>0</b>	0
(iii) कुल प्रतिलाभ	<b>0</b>	38.06
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिलाभ	<b>0</b>	0
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	<b>0</b>	38.06

#### Country Risk Management

The Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31-03-09 and such exposures to countries other than the United Kingdom is well within the stipulation of 1 percent of total assets of the Bank. In respect of United Kingdom, which is classified under insignificant category by ECGC Limited, a provision of Rs.1.97 crores (previous year Rs.1.57 crores) has been made.

#### 4. ASSET QUALITY

##### A. Non-Performing Assets

(Rs. in Crore)

Particulars	31-03-2009	31-03-2008
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	<b>0.77</b>	0.97
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening balance	<b>1768.65</b>	1559.81
(b) Additions during the year	<b>960.70</b>	1265.41
(c) Reductions during the year	<b>1134.81</b>	1056.57
(d) Closing balance	<b>1594.54</b>	1768.65
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	<b>622.73</b>	391.01
(b) Additions during the year	<b>696.38</b>	878.94
(c) Reductions during the year	<b>687.34</b>	647.22
(d) Closing balance	<b>631.77</b>	622.73
(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provision on standard assets)		
(a) Opening balance	<b>1107.40</b>	1135.75
(b) Provisions made during the year	<b>380.83</b>	385.87
(c) Write-off/ write-back of excess provisions	<b>562.19</b>	414.22
(d) Closing balance	<b>926.04</b>	1107.40

##### B. Details of Loan Assets subjected to Restructuring

(Rs. in Crore)

Particulars	31-03-2009	31-03-2008
(i) Total amount of loans subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation of which under CDR	<b>3381.69</b>	508.05
of which SME	<b>85.58</b>	84.50
of which Others	<b>417.69</b>	7.55
(ii) The amount of Standard Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation of which under CDR	<b>2878.42</b>	416.00
of which SME	<b>3283.85</b>	424.69
of which Others	<b>69.22</b>	45.35
(iii) The amount of Sub-Standard Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation; of which under CDR	<b>413.90</b>	7.55
of which SME	<b>2800.73</b>	371.79
of which Others	<b>21.21</b>	58.65
(iv) The amount of Doubtful Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation of which under CDR	<b>0.51</b>	9.11
of which SME	<b>2.62</b>	0
of which Others	<b>18.08</b>	49.54
(v) The amount of Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation of which under CDR	<b>76.63</b>	24.71
of which SME	<b>15.85</b>	22.28
of which Others	<b>1.17</b>	0
	<b>59.61</b>	2.43

##### C. Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(Rs. in Crore)

Particulars	2008-09	2007-08
(i) No. of accounts	<b>Nil</b>	1
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company/ Reconstruction Company	<b>Nil</b>	Nil
(iii) Aggregate consideration	<b>Nil</b>	38.06
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	<b>Nil</b>	Nil
(v) Aggregate gain over net book value.	<b>Nil</b>	38.06

घ. खरीदी गयी/विक्रय की गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे: शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

ड. मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

विवरण	2008-09	2007-08
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	395.89	375.53

D. Details of non-performing financial assets purchased/sold: Nil  
(Previous Year : Nil)

E. Provisions on Standard Asset

(Rs. in Crore)

Particulars	2008-09	2007-08
Provisions towards Standard Assets	395.89	375.53

#### 5. कारोबार अनुपात

विवरण	31-03-2009	31-03-2008
(i) कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता (%)	8.51%	8.17%
(ii) कार्यशील निधियों की तुलना में अब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	0.76%	0.92%
(iii) कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता (%)	1.52%	1.52%
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.81%	0.88%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि + अग्रिम) (रु. लाख में)	750.65	586.02
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	3.64	3.18

उपरोक्त अनुपातों के उद्देश्य हेतु कार्यशील निधियों का परिकलन एस.सी.एम.एस. समाधान आर.टी.जी.एस. उच्चतम तथा अग्रिमों के अधीन रिपोर्ट की गयी निवल रकम को गणना में लेते हुए फॉर्म X में से किया गया है।

#### 5. BUSINESS RATIOS

Particulars	31-03-2009	31-03-2008
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	8.51%	8.17%
(ii) Non-interest Income as a percentage to Working Funds (%)	0.76%	0.92%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.52%	1.52%
(iv) Return on Assets (%)	0.81%	0.88%
(v) Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in Lacs)	750.65	586.02
(vi) Profit per employee (Rs. in Lacs)	3.64	3.18

Working funds for the purpose of above ratios has been worked out from Form X by taking net position of amount reported under SCMS reconciliation, RTGS suspense and advances.

#### 6. आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न:

दि. 31-03-2009 की स्थिति के अनुसार

Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities  
As on 31-03-2009

(रुपये करोड़ में Rs. in Crore)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 days	8-14 दिन 8-14 days	15-28 दिन 15-28 days	29 दिनों से और 3 महीने तक 29 days & up to 3 mths	3-6 महीने 3-6 mths	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक >6 mths to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक >5 years	कुल Total
1. ऋण और अग्रिम की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Loans & Advances	3489.50	4056.25	2319.97	3387.18	5107.75	5958.26	9316.54	29298.43	8067.68	10530.70	81532.26
2. निवेश की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Investments	0.88	414.64	41.63	173.58	528.91	307.28	1404.05	1966.64	4049.54	21650.08	30537.23
3. जमाराशियों की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Deposits	895.35	5957.51	2584.70	2425.13	9790.59	15743.68	27274.60	35107.70	3258.62	12847.27	115885.14
4. उधार राशियों की परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern of Borrowings	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	141.72	884.65	1001.88	124.58	35.92	2190.47
5. विदेशी मुद्रा अस्तियां (लंदन +आइडी) Foreign Currency Assets (London + ID)	1649.11	2060.71	455.01	385.44	1749.76	974.01	304.40	729.91	733.79	392.13	9434.28
6. विदेशी मुद्रा देयताएँ (लंदन +आइडी) Foreign Currency Liabilities (London + ID)	633.77	2562.01	506.84	727.02	1594.26	1258.87	627.85	533.92	1.50	0.00	8446.05

नोट: 1. उपरोक्त तालिका की मद सं. 5 और 6 लंदन और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग दोनों विदेशी मुद्राओं में आंकी गयी आस्तियां/देयताएँ हैं और ये संबंधित लेखा शीर्षों के अधीन मद संख्या 1 से 4 में दिए गए लेखा शीर्षों के हिस्से बनते हैं।

2. उपरोक्त परिपक्वता का संकलन, शाखाओं से प्राप्त जानकारी, स्थायी और अस्थायी हिस्से का निर्धारण करने भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित दत्तों और परिपक्वता की प्रवृत्ति के आधार पर प्रधान कार्यालय के स्तर पर किए गए समायोजन/प्रभाजन के आधार पर किया गया।

Note: 1. Item No. 5 & 6 of above table are assets/liabilities denominated in foreign currencies of both London and International Division and these form part of the respective heads given in item numbers 1 to 4.

2. The above maturity pattern has been compiled based on information received from branches, guidelines prescribed by RBI for determining core and volatile portion of certain assets/liabilities and adjustment/ apportionment made at Head Office on the basis of behavioural maturity.

## 7. निवेश

### क. स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	31-03-09	31-03-08
क) प्रत्यक्ष निवेश	<b>8765.65</b>	8309.78
(i) आवासीय बंधक - उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार; इनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	<b>6309.96</b>	6083.28
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी;	<b>4340.33</b>	3990.69
(iii) बंधक समर्थित जमानत में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत निवेश - क. आवासीय ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	<b>2455.69</b>	2226.50
ख) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश	<b>0</b>	0
	<b>1916.69</b>	1099.87

### ख. पूंजी बाजार में निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	31-03-09	31-03-08
I. ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	<b>202.02</b>	390.73
II. शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस. सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूचुअल फंड की यूनिटों में और ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	<b>1.06</b>	2.17
III. अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	<b>0</b>	1.00
IV. किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों की संपात्तिविक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहाँ शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	<b>6.57</b>	0.17

## 7. EXPOSURES

### A. Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in Crore)

Particulars	31-03-09	31-03-08
a) Direct Exposure	<b>8765.65</b>	8309.78
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	<b>6309.96</b>	6083.28
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based & non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits.	<b>4340.33</b>	3990.69
(iii) Investment in Mortgaged Backed Securities (MBS) and other securitised exposure a. Residential b. Commercial Real Estate	<b>2455.69</b>	2226.50
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	<b>0</b>	0
	<b>1916.69</b>	1099.87

### B. Exposure to Capital Market

(Rs. in Crore)

Particulars	31-03-09	31-03-08
I. Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in Corporate debt	<b>202.02</b>	390.73
II. Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	<b>1.06</b>	2.17
III. Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	<b>0</b>	1.00
IV. Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds/convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	<b>6.57</b>	0.17

V. स्टॉकब्रोकरों को दिए गए जमानती और या बेजमानती अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	2.40	8.78
VI. शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	390.11	392.94
VII. प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरे ऋण	0	0
VIII. शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में बैंक द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	0	0
IX. मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता।	0	0
X. जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	97.83	88.55
<b>पूँजी बाजार में किए गए कुल निवेश</b>	<b>699.99</b>	<b>884.34</b>

V. Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	2.40	8.78
VI. Loans sanctioned to Corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	390.11	392.94
VII. Bridge loans to companies against expected equity flows / issues	0	0
VIII. Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	0	0
IX. Finance to Stockbrokers for margin trading	0	0
X. All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	97.83	88.55
<b>Total Exposure to Capital Market</b>	<b>699.99</b>	<b>884.34</b>

#### ग. जोखिम वर्ग-वार देशी निवेश

(करोड़ रुपये में)

जोखिम संवर्ग	31मार्च 2009 को निवेश (निवल)	31मार्च 2009 को धारित प्रावधान	31मार्च 2008 को निवेश (निवल)	31मार्च 2008 को धारित प्रावधान
नगण्य	3467.29	1.97	3216.41	1.57
कम	2990.70	-	1310.87	-
मध्यम	277.29	-	2960.40	-
अधिक	18.42	-	12.15	-
अत्यधिक	0.00	-	0.00	-
प्रतिबंधित	0.00	-	0.00	-
ऋणोत्तर	39.09	-	3.70	-
<b>कुल</b>	<b>6792.79</b>	<b>1.97</b>	<b>7503.53</b>	<b>1.57</b>

#### घ. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में अध्याहरण के ब्यौरे

बैंक ने वर्ष 2008-09 के दौरान एकल उधारकर्ता सीमा (एस.बी.एल.) या समूह उधारकर्ता सीमा (जी.बी.एल.) में अध्याहरण नहीं किया।

#### 8. विविध

क) वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि (करोड़ रुपये में)

विवरण	31-03-2009	31-03-2008
आय कर	193.60	105.50
एफ.बी.टी. के लिए प्रावधान	4.60	4.25

ख) वर्ष के दौरान बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई दण्ड नहीं लगाया गया है।

#### 9. लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (ए एस)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हों) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं:

॥ उक्त अवधि के लिए निवल लाभ व हानि, पिछली अवधि की मदें और लेखाकरण नीति में परिवर्तन (ए.एस. 5):

क) बैंक ने दि. 1 अप्रैल, 2007 से, ए.एस. 15 (संशोधित) – “कर्मचारियों के लाभ” को अपनाया है। बैंक ने, रु. 298.68 करोड़ की अंतर्वर्ती देयता को संशोधित ए.एस. 15 के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के दौरान समान रूप

#### C. Risk Category wise Country wise Exposure

(Rs. in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31st March 2009	Provision held as at 31st March 2009	Exposure (net) as at 31st March 2008	Provision held as at 31st March 2008
Insignificant	3467.29	1.97	3216.41	1.57
Low	2990.70	-	1310.87	-
Moderate	277.29	-	2960.40	-
High	18.42	-	12.15	-
Very High	0.00	-	0.00	-
Restricted	0.00	-	0.00	-
Off-credit	39.09	-	3.70	-
<b>Total</b>	<b>6792.79</b>	<b>1.97</b>	<b>7503.53</b>	<b>1.57</b>

#### D. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

The Bank has not exceeded Single Borrower Limit (SBL) or Group Borrower Limit (GBL) during the year 2008-09.

#### 8. MISCELLANEOUS

a) Amount of provisions made for income tax during the year (Rs. in Crore)

Particulars	31-03-2009	31-03-2008
Income Tax	193.60	105.50
Provision for FBT	4.60	4.25

b) During the year no penalty was imposed by RBI on the Bank.

#### 9. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

॥ Net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy (AS 5)

a) The Bank has adopted AS 15 (Revised), 'Employees Benefits' from 1<sup>st</sup> April 2007. The Bank opted to recognise transitional liability of Rs.298.68 crores as per revised AS15 equally over a period of 5

से विनियोग करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप, रु. 59.74 करोड़ की अंतर्वर्ती देयता के 1/5 अंश को राजस्व में प्रभारित किया गया। निर्धारित लाभ योजना पर उपर्युक्त परिवर्तन के प्रभाव का पता नहीं लगाया गया।

ख) लंदन शाखा में अस्थिर दर वाले नोट और ऋण संबद्ध नोट में किए गए निवेश को “बिड्डी के लिए उपलब्ध” के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण अंकित मूल्य पर या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है। एफ.आर.एन. का मूल्य निर्धारण जारीकर्ता मूल्य के आधार पर किया गया और सी.एल.एन. का मूल्य निर्धारण एफ.आइ.एम.डी.ए. स्प्रेड के आधार पर किया गया। इसके परिणाम स्वरूप, इन निवेशों पर मूल्यहास के लिए रु. 31.05 करोड़ का प्रावधान रखा गया।

### ii) विदेशी विनियम दरों में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एस 11)

क) गैर समाकलित विदेशी परिचालनों से हुए निवल विनियम अंतर से रु. 0.28 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.44 करोड़) की हानि हुई, जिसे वर्ष के दौरान “विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि” में समायोजित किया गया, जिसे अनुसूची 2 – “आरक्षित निधि और अधिशेष” के अधीन दर्शाया गया है।

ख) वर्ष के निवल लाभ में, रु. 0.66 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 11.65 करोड़ हानि) जो एफ.एस. आस्तियों और देयताओं के एस 11 मूल्यांकन के कारण हुए विनियम अंतर के अंतर्गत दर्ज किये गये लाभ है।

### iii) कर्मचारी लाभ (एस 15)

बैंक ने संशोधित लेखाकरण मानक 15 का अनुपालन किया और तदनुसार 31-3-2008 के दौरान रु. 298.68 करोड़ की राशि को अंतर्वर्ती देयता के रूप में गणना में लिया गया। कुल अंतर्वर्ती देयताओं में से, बैंक ने रु. 59.74 करोड़ (1/5) को चालू वर्ष के लाभ व हानि लेखे को प्रभारित किया और बाकी बची रकम रु. 179.24 करोड़ (पिछले वर्ष 238.94 करोड़) को अगले तीन वर्षों की अवधि के दौरान समान रूप से प्रभारित किया जाएगा।

### iv) खण्डवार रिपोर्टिंग (एस 17)

(करोड़ रुपयों में)

भाग-क कारोबार खण्ड	31-03-2009	31-03-2008
<b>1. खण्डवार राजस्व</b>		
क) नेगम/थोक बैंकिंग परिचालन	4158	2905
ख) रिटेल बैंकिंग परिचालन	3641	3170
ग) कोष बैंकिंग	2349	2478
घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	292	243
<b>कुल</b>	<b>10440</b>	<b>8796</b>
<b>2. खण्डवार परिणाम</b>		
क) नेगम/थोक बैंकिंग परिचालन	788	522
ख) रिटेल बैंकिंग परिचालन	690	572
ग) कोष बैंकिंग	47	182
घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	222	192
<b>कुल</b>	<b>1746</b>	<b>1468</b>
3. अनाबंटित व्यय	0	0
4. परिचालन लाभ	1746	1468
5. आय कर	112	152
6. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	722	468
7. असाधारण लाभ/(हानि)	0	0
8. निवल लाभ	913	848
<b>9. खण्डवार आस्तियाँ</b>		
क) नेगम/थोक बैंकिंग परिचालन	52198	37068
ख) रिटेल बैंकिंग परिचालन	45702	40412
ग) कोष बैंकिंग	30537	28076
घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	1076	806
ङ) अनाबंटित आस्तियाँ	742	770
<b>कुल आस्तियाँ</b>	<b>130255</b>	<b>107132</b>
<b>10. खण्डवार देयताएँ</b>		
क) नेगम/थोक बैंकिंग परिचालन	47273	32497
ख) रिटेल बैंकिंग परिचालन	41390	35431
ग) कोष बैंकिंग	35517	34201
घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	975	712
ङ) अनाबंटित आस्तियाँ	5100	4291
<b>कुल देयताएँ</b>	<b>130255</b>	<b>107132</b>

**नोट:** भौगोलिक रूप से खण्डवार प्रकटीकरण की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विदेशी शाखा के परिचालन निर्दिष्ट मानदण्ड से कम है।

years. Consequently the 1/5<sup>th</sup> of the transitional liability amounting to Rs.59.74 crores has been charged to revenue during the year. The impact of the above change on defined benefit plan is not ascertained.

b) Investment in Floating Rate Note and Credit Linked Note held in London branch are classified as available for sale and are valued at nominal value or market value whichever is lower. FRNs are valued based on issuers value and the CLNs are valued based on FIMMDA spread. Consequently the provision for depreciation on these investments is at Rs. 31.05 crore.

### ii) Effect of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11)

a) Net exchange difference in Non Integral Foreign operations has resulted in profit of Rs.0.28 crore (Previous Year loss: Rs. 0.44 crore) which is adjusted to “Foreign Currency Translation Reserve” during the year, which has been shown under Schedule 2 - “Reserves and Surplus”.

b) The net profit for the year includes an amount of Rs.0.66 crores (Rs.11.65 crores loss for the previous year) being the profit booked under difference in exchange on account of AS 11 valuation of FX Assets & Liabilities.

### iii) Employee Benefits (AS 15)

The Bank has complied with the revised Accounting Standard 15 and accordingly a sum of Rs.298.68 crore has been considered as transitional liability as on 31-3-2008. Out of total transitional liability, the Bank has charged Rs.59.74 crore (one fifth) to the current year's profit and loss account and the balance amount of Rs.179.20 crore (previous year Rs. 238.94 crore) will be charged equally over the period of next three years.

### iv) Segment Reporting (AS 17)

(Rs. in Crore)

Part-A Business Segments	31-03-2009	31-03-2008
<b>1. Segment Revenue</b>		
a) Corporate/Wholesale Banking Operations	4158	2905
b) Retail Banking Operations	3641	3170
c) Treasury Operations	2349	2478
d) Other Banking Operations	292	243
<b>Total</b>	<b>10440</b>	<b>8796</b>
<b>2. Segment Results</b>		
a) Corporate/Wholesale Banking Operations	788	522
b) Retail Banking Operations	690	572
c) Treasury Operations	47	182
d) Other Banking Operations	222	192
<b>Total</b>	<b>1746</b>	<b>1468</b>
3. Unallocated expenses	0	0
4. <b>Operating Profit</b>	<b>1746</b>	<b>1468</b>
5. Income tax	112	152
6. Provisions & Contingencies	722	468
7. Extraordinary Profit/(Loss)	0	0
8. <b>Net Profit</b>	<b>913</b>	<b>848</b>
<b>9. Segment Assets</b>		
a) Corporate/Wholesale Banking Operations	52198	37068
b) Retail Banking Operations	45702	40412
c) Treasury Operations	30537	28076
d) Other Banking Operations	1076	806
e) Unallocated Assets	742	770
<b>Total Assets</b>	<b>130255</b>	<b>107132</b>
<b>10. Segment Liabilities</b>		
a) Corporate/Wholesale Banking Operations	47273	32497
b) Retail Banking Operations	41390	35431
c) Treasury Operations	35517	34201
d) Other Banking Operations	975	712
e) Unallocated liabilities	5100	4291
<b>Total Liabilities</b>	<b>130255</b>	<b>107132</b>

**Note:** Geographical segment disclosure is not required to be made since the operation from foreign branch is less than the prescribed norms.

v) **संगत पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)**

संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध

क) **अनुषंगी:**

सिडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

ख) **सहायक संस्थाएं:**

गुडगांव ग्रामीण बैंक  
नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक  
प्रथमा बैंक  
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक  
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

ग) **प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी:**

श्री सी. पी. स्वर्णकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
श्री जॉर्ज जोसेफ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संगत पार्टी लेन-देन

(लाख रुपयों में)

प्रबंधकवर्ग के प्रमुख कर्मचारी	पदनाम	वेतन और परिलब्धियाँ
श्री सी. पी. स्वर्णकार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	9.19
श्री जॉर्ज जोसेफ*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	11.39
श्री वी. के. नागर	कार्यपालक निदेशक	2.86
श्री आर. रामचन्द्रन	कार्यपालक निदेशक	1.66

\*दि.30-4-2008 को श्री स्वर्णकार की निवृत्त के बाद तत्कालीन कार्यपालक निदेशक श्री जॉर्ज जोसेफ ने दि.02-08-2008 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला।

ए. एस. 18 के पैरा 9 के अनुसार अनुषंगी और सहायक संस्थाओं के लेन-देन प्रकट नहीं किए गए हैं।

vi) **प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)**

विवरण	31-03-2009	31-03-2008
कर के बाद, ईक्विटी शेयर धारकों को उपलब्ध निवल लाभ (करोड़ रुपयों में)	912.82	848.07
ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (सं.)	521968282	521968282
मूल प्रति शेयर अर्जन (रु.)	17.49	16.25
उपचित प्रति शेयर अर्जन (रु.)	17.49	16.25
प्रति शेयर का अंकित मूल्य (रु.)	10	10

vii) **समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)**

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए समेकित वित्तीय विवरण ए.एस. 21 के अनुसार बैंक की अनुषंगी संस्था मेसर्स सिडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है।

viii) **आय कर का लेखाकरण (एएस 22)**

बैंक ने ए एस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर देयता की शुद्ध शेष राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
आस्थगित कर देयता - अचल आस्तियों पर मूल्यहास	10.95	19.31

मौजूदा आस्थगित कर देयता से चालू वर्ष के लाभ व हानि लेखों को प्रभारित प्रावधान और आकस्मिक व्यय, आस्थगित कर देयता के प्रति रु. 8.36 करोड़ की राशि का समायोजन करने के बाद का है। बैंक ने कर्मचारी लाभ संबंधी देयताओं (भुगतान क्रिस्टलीकरण के बाद देय) तथा विवेकाधिकार के कारण से हुई पूंजीगत हानि के लिए किए गए प्रावधान पर डी.टी.ए. की पहचान नहीं की है।

ix) **आस्तियों की क्षति (एएस 28)**

प्रबंधक वर्ग की राय में, दि. 31-03-2009 की स्थिति के अनुसार बैंक की आस्तियों को ऐसी कोई क्षति नहीं हुई है जिसे लेखाकरण मानक 28 के अनुसार अभिनिर्धारित करना आवश्यक हो।

x) **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस 29)**

आकस्मिक देयताओं को अनुसूची 12 में दर्शाया गया है और इन देयताओं का क्रिस्टलीकरण, न्यायालय के मामले/विवाचन/न्यायालय के बाहर के समझौते,

v) **Related Party Disclosures (AS 18)**

Names of Related Parties and their relationship:

a) **Subsidiary:**

Syndbank Services Limited

b) **Associates:**

Gurgaon Grameena Bank  
North Malabar Grameena Bank  
Prathama Bank  
Andhra Pragathi Grameena Bank  
Karnataka Vikas Grameena Bank

c) **Key Management Personnel:**

Sri C. P. Swarnkar, Chairman and Managing Director  
Sri George Joseph, Chairman and Managing Director

**Related Party Transactions**

(Rs. in Lakh)

Key Management Personnel	Designation	Salary and emoluments
Sri C. P. Swarnkar	Chairman & Managing Director	9.19
Sri George Joseph *	Chairman & Managing Director	11.39
Sri V. K. Nagar	Executive Director	2.86
Sri R. Ramachandran	Executive Director	1.66

\* Since Sri C. P. Swarnkar has retired on 30-04-2008, Sri George Joseph, the then ED took over as Chairman and Managing Director from 02-08-2008.

Transactions with Subsidiary and Associates have not been disclosed in terms of Para 9 of AS 18.

vi) **Earnings per Share (AS 20)**

Particulars	31-03-2009	31-03-2008
Net Profit after Tax available for Equity Share Holders (Rs. Crore)	912.82	848.07
Weighted Average number of Equity Shares (No.)	521968282	521968282
Basic Earning per Share (Rs.)	17.49	16.25
Diluted Earning per Share (Rs.)	17.49	16.25
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

vii) **Consolidated Financial Statements (AS 21)**

The financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2009 have been prepared in accordance with the AS 21 and on the basis of the audited financial statements of the subsidiary of the Bank, M/s Syndbank Services Ltd.

viii) **Accounting for Taxes on Income (AS 22)**

The Bank has complied with the requirements of AS 22.

The net balance of deferred tax liability as on 31<sup>st</sup> March, 2009 is detailed below:

(Rs. in Crore)

Particulars	31st March 2009	31st March 2008
Deferred Tax Liability - Depreciation on Fixed Assets	10.95	19.31

Provisions and Contingencies charged to the Profit & Loss account for the current year is after adjusting a sum of Rs. 8.36 Crore towards Deferred Tax Assets (DTA) from the existing Deferred Tax Liability. Further the Bank has not recognised DTA on provision made for employee benefit liabilities (allowable upon payment/crystallisation) and capital loss on account of prudence.

ix) **Impairment of Assets (AS 28)**

In the opinion of the management, there is no material impairment of Bank's assets as at 31-03-2009 requiring recognition in terms of Accounting Standard 28.

x) **Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS 29)**

Contingent Liabilities are stated in Schedule 12 and the crystallization of these liabilities are dependant upon the outcome of court cases/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up,



अपीलों के निपटान, वापस मांगी गयी राशि, संविदात्मक दायित्व की शर्तें, संबंधित पार्टियों द्वारा की गयी मांग इत्यादि के परिणामों पर निर्भर करता है। बैंक ने ए.एस.29 का पालन करते हुए, जहाँ कहीं अपेक्षित हो, पर्याप्त प्रावधान किया है।

वायदा विनिमय संविदा, गारंटी, स्वीकृतियाँ और पृष्ठांकन और स्वैप ब्याज दर फारवर्ड रेट एग्रिमेंट के बारे में आकस्मिक देयताओं की प्रकृति और विवरण का ब्यौरा देना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में रकम तथा लेन-देन सन्निहित हैं। अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में (जैसे बैंक के विरुद्ध दावा, कर दावा इत्यादि) प्रकटीकरण से बैंक की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रबंधन की राय में, सामान्य कारोबार व्यवहार में आकस्मिक देयताएं उत्पन्न होती हैं और बैंक के लिए उसका क्रिस्टलीकरण नहीं किया जा सकता और उसका बैंक के राजस्व पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव भी नहीं पड़ता।

#### 10. अन्य प्रकटीकरण

##### क) प्रावधान और आकस्मिक व्यय

(कोड़ रुपयों में)

विवरण	31-03-2009	31-03-2008
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	105.91	9.66
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान (पुनः संरचित अग्रिमों के मूल्य में हास के लिए किए गए प्रावधान सहित)	446.94	345.41
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	20.36	73.64
आय कर/एफ.बी.टी. आदि के लिए प्रावधान	123.52	157.47
बटुटे खाते डाले गए अशोध्य ऋण	27.10	1.58
अन्य	109.79	32.44
<b>कुल</b>	<b>833.62</b>	<b>620.20</b>

##### ख) अस्थायी प्रावधान के संचलन निम्नप्रस्तुत है।

(कोड़ रुपयों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	373.57	303.57
ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	Nil	70.00
ग) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	66.94	0.00
घ) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	306.63	373.57

वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शित सिद्धांतों के अनुसार “कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना – 2008” के अंतर्गत पात्र खातों के संबंध में ब्याज, प्रभार, आदि की पूर्ति के लिए रु. 66.94 करोड़ की राशि उपयोग की है।

##### ग) आरक्षित निधियों में किए गए आहरण

बैंक ने वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से कोई आहरण नहीं किया है।

##### घ) ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

###### ग्राहकों की शिकायतें

1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	91
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	1626
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	1645
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	72

###### बैंकिंग लोकपाल को संदर्भित मामले

1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की सं.	18
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को संदर्भित मामलों की सं.	363
3.	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामलों की सं.	362
4.	वर्ष के अंत में लंबित मामलों की सं.	19

###### बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनियम

1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनियमों की सं.	1
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनियमों की सं.	6
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनियमों की सं.	6
4.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनियमों की सं.	1

##### ड) अचल आस्तियाँ

॥ बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख बैंक के पास हैं।

terms of contractual obligation, development and raising of demand by concerned parties, respectively. The Bank has made adequate provisions, wherever required, in compliance with AS 29.

The description of the nature of the contingent liability in case of forward exchange contracts, guarantees, acceptances & endorsements and Interest Rate Swaps/ Forward Rate Agreements can not be given because it is not practicable to do so due to the substantial quantum of amount and transactions involved. Regarding the other contingent liabilities (claim against the Bank, tax claims, etc), the disclosure of the information may prejudice the position of the Bank. In the opinion of Management, the contingent liability has arisen in the normal course of business and may not crystallise on the Bank and may not have any material impact on the revenue.

#### 10. OTHER DISCLOSURES

##### a) Provisions and Contingencies

(Rs. in Crore)

Particulars	31-03-2009	31-03-2008
Provision for depreciation on investment	105.91	9.66
Provision towards NPA (including provision for diminution in value of restructured advances)	446.94	345.41
Provision towards Standard Assets	20.36	73.64
Provision towards Income tax/FBT etc.	123.52	157.47
Bad Debts written off	27.10	1.58
Others	109.79	32.44
<b>Total</b>	<b>833.62</b>	<b>620.20</b>

##### b) The movement of Floating Provision is furnished below

(Rs. in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(a) Opening Balance in the floating provision account	373.57	303.57
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	Nil	70.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	66.94	0.00
(d) Closing Balance in the floating provisions account	306.63	373.57

During the year the Bank has utilised an amount of Rs. 66.94 crores for meeting the Interest, charges, etc. pertaining to accounts eligible under 'Agricultural Debt Waiver & Debt Relief Scheme - 2008' as per RBI guidelines.

##### c) Draw down from reserves

The Bank has not made any draw down from the Reserves during the year.

##### d) Status of Customer Complaints

###### Customer Complaints

1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	91
2.	No. of complaints received during the year	1626
3.	No. of complaints redressed during the year	1645
4.	No. of complaints pending at the end of the year	72

###### Cases referred to Banking Ombudsman

1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	18
2.	No. of cases referred to Banking Ombudsman during the year	363
3.	No. of cases disposed off during the year	362
4.	No. of cases pending as at the end of the year	19

###### Awards passed by the Banking Ombudsman

1.	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
2.	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	6
3.	No. of awards implemented during the year	6
4.	No. of unimplemented Awards at the end of the year	1

##### e) Fixed assets

॥ In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

- ii) इस वित्तीय वर्ष के कुल रु.11.33 करोड़ (पिछले वि.व. में रु.11.86 करोड़) के मूल्यहास को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किया गया। बैंक की निजी जमीन और भवनों का पिछला मूल्यांकन दिसंबर 2006 में किया गया था।

#### च) निवेश

एच.टी.एम. शेप्री में रखी गयी रु.77.03 करोड़ की प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ को लाभ व हानि लेखे में लिया गया और तदनंतर रु.38.14 करोड़ को (कर के लिए प्रावधान करने तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण करने के बाद) पूंजीगत आरक्षित निधि लेखे में विनियोग किया गया।

#### छ) अग्रिम

- i) ई.सी.जी.सी./डी.आइ.सी.जी.सी. से प्राप्त रु.37.29 करोड़ (पिछले वर्ष रु.38.51 करोड़) के दावों को प्रावधान के परिकलन के लिए रखा गया।
- ii) बैंक, अनर्जक आस्तियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त, रु.128 करोड़ (पिछले वर्ष रु.179 करोड़) का प्रावधान रखता है।
- iii) बैंक, विवेकपूर्ण मामले के तौर पर, मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधान के अलावा रु.11.00 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान रखता है।

#### ज) समाधान

- i) शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के बीच अंतर कार्यालय संव्यवहारों की बकाया प्रविष्टियों, उपशाखाओं के साथ कतिपय मूल शाखाओं की लम्बित मदों, संदेत ड्राफ्टों, संदेय ड्राफ्टों, शाखा समायोजन, समाशोधन समायोजन, उचित खातों, पूंजीगत व्यय और फुटकर आस्तियाँ सरकारी और बीमा संबंधी व्यवसाय पर कमीशन तथा विदेशी बैंकों, अधिकरणों और वित्तीय संस्थाओं सहित बैंक तथा अन्य बैंकों के बीच बकाया संव्यवहारों आदि का समाधान/ निपटान का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधक वर्ग की दृष्टि में, लेखें पर इसका परिणामी प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।
- ii) जमाराशियाँ, अग्रिम, उचित, फुटकर उचित, अचल आस्तियाँ, समाशोधन अंतर, क्रेडिट कार्ड संबंधी शोध राशि आदि कुछ लेखों के संबंध में सामान्य बही के साथ सहायक लेखा बहियों की शेषराशियों के संतुलन तथा समाधान कार्य प्रगति पर है।

#### झ) बंधपत्र जारी करने से संबंधित व्यय

वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 300 करोड़ के टायर II बंधपत्र और रु.339 करोड़ के टायर I बंधपत्र जारी किया। निर्गम का कुल व्यय रु.2.77 करोड़ या जिसे वर्ष के दौरान लाभ व हानि लेखे में प्रभावित किया गया।

#### ञ) कर के लिए प्रावधान

- i) कर के लिए प्रावधान का परिकलन, अपील प्राधिकारियों के निर्णयों तथा परामर्शदाताओं की सलाह/राय पर सम्यक् रूप से विचार करने के बाद किया गया है।
- ii) वर्ष के दौरान बैंक ने दि. 31-3-2009 की स्थिति के अनुसार रु.76 करोड़ की एम.ए.टी. जमा पात्रता उपलब्ध की है।

#### ट) लंबित दावों और ई.सी.जी.सी. के दायर किए जानेवाले दावे

	दावों की सं.	रकम (करोड़ रुपये में)
लंबित ई.सी.जी.सी. के दावे	6	186.93
दायर किए जानेवाले दावे	1	436.43

#### ठ) बुलिशन व्यापार

- बैंक देशभर की कुछ चयनित शाखाओं के माध्यम से सोने के सिक्कों की बिक्री कर रहा है।
- सोने के सिक्कों को परेषण आधार पर आयतित किया गया।
- निवल आरंभिक राशि सीमा का निर्धारण निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से किया जाएगा और उसकी दैनिक निगरानी मिड ऑफिस द्वारा की जाएगी।
- लेखाकरण और जोखिम प्रबंधन नीतियों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के मार्गदर्शि सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया है और उनका अनुपालन किया जा रहा है।
- स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य (इनमें से जो कम हो) पर किया गया और परिणामी हानि को लाभ व हानि लेखे में लेखाबद्ध किया गया है।

- ड) भारत सरकार ने सीमांत कृषकों तथा छोटे किसानों तथा अन्य किसानों जिन्होंने प्रत्यक्ष कृषि ऋण उपलब्ध किए हैं उनके ऋणों को माफ करने हेतु ऋण राहत योजना यानि "कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008" पर अधिसूचना जारी की है। उक्त योजना के अनुसार पात्र किसानों को दी गयी कृषि ऋण माफी को लेखा बद्ध कर दिया गया है इस संबंध में अंतिम दावों की रकम लेखा परीक्षकों के प्रमाणीकरण के अधीन है। योजना के तहत माफ की गयी कुल रु.734.53 करोड़ की रकम के लिए भा.रि.बैं. के पास प्रारंभिक दावा दर्ज किया गया है, जिसमें से बैंक ने रु.301.16 करोड़ प्राप्त कर चुका है और रु.431.70 करोड़ की राशि को अनुसूची 9 अग्रिम में शामिल किया गया है।

- ii) Depreciation aggregating Rs.11.33 crore in this FY (Rs. 11.86 crs in the previous FY) is credited to Revaluation Reserve. Last valuation of Bank owned land and buildings was conducted in December 2006.

#### f) Investments

Profit on account of sale of securities from HTM Category amounting to Rs. 77.03 crores has been taken to Profit and Loss Account and thereafter Rs. 38.14 crores (after tax provision and transfer to statutory reserve) is appropriated towards Capital Reserve Account.

#### g) Advances

- i) Claims received from ECGC / DICGC amounting Rs. 37.29 crore (Previous year Rs. 38.51 Crore) have been considered for the purpose of computing the provision.
- ii) The Bank holds a provision of Rs. 128.00 crore (Previous year Rs. 179 crore) in respect of Non-Performing Assets over and above the prudential norms requirements of RBI.
- iii) The Bank holds an additional provision of Rs. 11.00 crore over and above the normal general provision on standard assets as a matter of prudence.

#### h) Reconciliation

- i) Reconciliation / clearance of outstanding entries of inter-office transactions between branches, controlling offices and Head Office, pending items in few base branches with extension counters, drafts paid, drafts payable, branch adjustment, clearing adjustment, suspense accounts, capital expenditure, sundry assets, commission on Government and Insurance business, claims and frauds outstanding, outstanding transactions between the Bank and other Banks including Foreign Banks, agencies and financial institutions is in progress. In the view of the management, consequential impact of this on the accounts is not material.
- ii) Balancing and reconciliation of balances in subsidiary ledgers in respect of certain accounts like deposits, advances, suspense, sundries, fixed assets, clearing differences, Credit Card recoverable etc., with General Ledger is in progress.

#### i) Details of Bonds Issue

During the year, the Bank came out with Tier II Bond issue for Rs.300 crores and Tier I bonds issue for Rs. 339 Crore. The total amount of issue expenses was Rs.2.77 crores, which has been charged to the Profit & Loss account during the year.

#### j) Provision for Taxes

- i) Provision for taxes are arrived at after due consideration of decisions of appellate authorities and advise/opinion of counsels.
- ii) During the year, the Bank has availed MAT credit entitlement as on 31-03-2008 amounting to Rs.76.00 crores.

#### k) Claims pending and to be preferred with ECGC

	No. of Claims	Amount (Rs. in Crores)
Pending ECGC claims	6	186.93
Claims to be preferred	1	436.43

#### l) Bullion Trade

- The Bank is undertaking sale of gold coins through select branches all over India.
- Coins are imported under consignment basis.
- Net open position limits are fixed with the approval of Board/RBI and daily monitoring is done by Mid Office.
- Accounting and Risk Management Policies are framed as per Board/RBI guidelines and the same is being adhered to.
- Stock is valued at the cost price or market price (whichever is lower) and the resultant loss is booked to P&L A/c.

- m) The Govt. of India has notified Relief Scheme, viz., "Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008" for giving debt waiver to marginal and small farmers and to other farmers who have availed direct agricultural loans. The agricultural debt waiver given to eligible farmers as per the Scheme has been given effect to in the accounts and the amount is subject to certification of final claim by the auditors. Preliminary claim has been lodged with the RBI for Rs. 734.53 crores being the amount waived, out of which the Bank has received Rs.301.16 crores and an amount of Rs.431.70 crore is included under Schedule 9 – Advances.

द) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए सहूलियत पत्र:

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई ने, निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से मूल कंपनी की लंदन शाखा के पक्ष में यू.एस.डॉलर 75 मिलियन का सहूलियत पत्र जारी किया।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग द्वारा हमारी लंदन शाखा के साथ बाजार संबद्ध दरों पर जो दैनिक बकाया निवेश किया है, वह यू.एस. डॉलर 75 मिलियन के लिए जारी किए गए सहूलियत पत्र के अनुसार तयशुदा न्यूनतम स्तर से अधिक है। इसलिए यू.एस. डॉलर 75 मिलियन की राशि को तुलन पत्र की तारीख को आकस्मिक देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया है। दि. 31-03-2009 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग द्वारा लंदन शाखा के पास रखी गयी कुल जमा राशि यू.एस.डॉलर 145.50 मिलियन है।

ण) नैगम ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र

दि. 31-03-2009 की स्थिति के अनुसार शाखाओं ने क्रेता उधार सुविधा प्रदान करने हेतु अपने नैगम ग्राहकों की ओर से लंदन शाखा के पक्ष में रु.272.27 करोड़ का सहूलियत पत्र जारी किया।

नैगम ग्राहकों को क्रेता के साथ पर ऋण प्रदान करने के लिए विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में क्रेता के साथ पर ऋण सुविधा मंजूर करने हेतु दि.31-03-2009 तक हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र की राशि रु.342.12 करोड़ है।

दि.31-03-2009 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग मुंबई द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र की सकल बकाया राशि रु.614.39 करोड़ है।

सहूलियत पत्र जारी करते समय उसकी गुणवत्ता, साख श्रेणी निर्धारण/वैश्विक श्रेणी निर्धारण, प्रतिभूति, संपाश्विक प्रतिभूति तथा अंतर्निहित संदर्भ संस्थाओं को गणना में लिया गया है, इसलिए सहूलियत पत्रों के कारण से हुए वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है।

त) दि.31-03-2009 की स्थिति के अनुसार पदनामित शाखाओं/एफ.एक्स.पी.सी. द्वारा जारी की गयी बैंक गारंटी के ब्यौरे

बकाया गारंटी की कुल राशि रु.63,40,22,161/- है, जिसमें से रु.39,65,54,738/- जिसके लिए ई.सी.जी.सी. रक्षा उपलब्ध है।

थ) दि.31-03-2009 की स्थिति के अनुसार पुनः संरचित खातों के ब्यौरे  
(प्रबंधक वर्ग द्वारा यथा संकलित) (करोड़ रुपयों में)

पुनः संरचित खातों के विवरण				
		सी.डी.आर तंत्र	एस.एम.ई. पुनः संरचना	अन्य
पुनः संरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	6	7843	41605
	बकाया राशि	69.22	413.90	2800.73
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	3.22	15.03	49.90
पुनः संरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	1	152	768
	बकाया राशि	0.51	2.62	18.08
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)		0.01	0.2
पुनः संरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	2	44	254
	बकाया राशि	15.85	1.17	59.61
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)		0.03	0.06
कुल	उधारकर्ताओं की सं.	9	8039	42627
	बकाया राशि	85.58	417.69	2878.42
	घाटा (उचित मूल्य में हुए ह्रास)	3.22	15.07	50.17

न) Letters of Comfort issued in favour of Overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches

International Division Mumbai issued Letter of Comfort amounting to US\$ 75 Mio in favour of London branch with the approval of Board of Directors / Reserve Bank of India.

During the financial year 2008-09, the daily outstanding placements made at market related rates by International Division with London branch stands above the minimum undertaken level, as per the Letter of Comfort issued for USD 75 Mio. Hence, the amount of Letter of Comfort for USD 75 mio will not appear as a Contingent Liability as on Balance Sheet date. Total Deposit of USD 145.50 Mio placed by International Division with London branch as on 31-03-2009.

o) Letter of Comfort issued by branches for the purpose of buyers credit facility to Corporate Clients

Branches have issued letters of Comfort on behalf of their Corporate customers in favour of London Branch for providing buyers credit to the extent of Rs.272.27 crores as on 31-03-2009.

Letters of Comfort issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients in favour of various other banks for arranging buyers credit is Rs.342.12 crores as on 31-03-2009.

The Gross Outstanding Amount of Letters of Comfort issued by our Branches & International Division Mumbai as at 31-03-2009 stands at Rs. 614.39 Crores.

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings / World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of / from the underlying reference entities are taken into account.

p) Details of Bank Guarantee issued by Designated Branches/FXPC as on 31-03-2009

Bank Guarantees aggregating to Rs. 63,40,22,161/- are outstanding, out of which ECGC cover is available for an amount of Rs. 39,65,54,738/-.

q) Details of Restructured Accounts as at 31-03-2009  
(As compiled by the management)

(Rs. in Crores)

Particulars of Accounts Restructured				
		CDR Mechanism	SME Restructuring	Others
Standard Advances restructured	No. of borrowers	6	7843	41605
	Amount outstanding	69.22	413.90	2800.73
	Sacrifice (diminution in the fair value)	3.22	15.03	49.90
Sub-Standard Advances restructured	No. of borrowers	1	152	768
	Amount outstanding	0.51	2.62	18.08
	Sacrifice (diminution in the fair value)		0.01	0.21
Doubtful advances restructured	No. of borrowers	2	44	254
	Amount outstanding	15.85	1.17	59.61
	Sacrifice (diminution in the fair value)		0.03	0.06
Total	No. of borrowers	9	8039	42627
	Amount outstanding	85.58	417.69	2878.42
	Sacrifice (diminution in the fair value)	3.22	15.07	50.17

द) दि. 31-03-2009 की स्थिति के अनुसार पुनः संरचित खातों पर अतिरिक्त प्रकटीकरण के ब्यौरे (प्रबंधक वर्ग द्वारा यथा संकलित)

(क्रोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	प्रकटीकरण	आवेदन पत्रों की सं.	रकम
1.	उन खातों के संबंध में पुनः संरचना हेतु दि.31-03-2009 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की सं. जो दि.31-09-2008 को मानक थे।	41595	3834.33
2.	उपर्युक्त (1) में से दि.31 मार्च, 2009 तक अनुमोदित और कार्यान्वित प्रस्तावों की सं. और इस प्रकार वे विशेष विनियामक उपचार के लिए पात्र बन गए और तुलन पत्र की तारीख तक उनको मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया।	40159	2907.02
3.	उपर्युक्त (1) में से दि.31 मार्च, 2009 तक अनुमोदित और कार्यान्वित प्रस्तावों की सं. किंतु उनको मानक श्रेणी में स्तरोन्नत नहीं किया जा सका।	138	51.19
4.	उपर्युक्त (1) में से प्रक्रियाधीन/कार्यान्वयन के अधीन प्रस्तावों की सं. है जो दि.31 मार्च, 2009 को मानक थे।	1229	874.61
5.	उपर्युक्त (1) में से प्रक्रियाधीन/कार्यान्वयन के अधीन प्रस्तावों की सं. जो दि.31 मार्च, 2009 को एन.पी.ए. बन गए हैं, किंतु उनकी पैकेज के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने की संभावना है।	69	1.51

ध) पिछले वर्ष के आंकड़े:

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

र) Details of Additional Disclosures on Restructured Accounts as at 31-03-2009 (As compiled by the management)

(Rs. in Crores)

Sl. No.	Disclosures	Number of Applications	Amount
1.	Application received upto March 31, 2009 for restructuring, in respect of accounts which were Standard as on September 1, 2008.	41595	3834.33
2.	Of (1), proposals approved and implemented as on March 31, 2009 and thus became eligible for Special Regulatory Treatment and classified as Standard Assets as on the date of the Balance Sheet.	40159	2907.02
3.	Of (1), proposals approved and implemented as on March 31, 2009 but could not be upgraded to the standard category.	138	51.19
4.	Of (1), proposals under process/ implementation which were Standard as on March 31, 2009	1229	874.61
5.	Of (1), proposals under process/ implementation which turned NPA as on March 31, 2009 but are expected to be classified as Standard Assets on full implementation of the package.	69	1.51

s) Previous year figures

Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to conform to the current years classification.

**31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण**  
**STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2009**

(हजार रुपयों में/Rs. 000s)

31-3-2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2009		31-3-2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2008
क. A.	परिचालन गतिविधियों से नकदी उपलब्धता <b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b> वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc. <b>95641733</b> अन्य आय/Other Income <b>8606543</b> <b>घटाइए/LESS:</b> वर्ष के दौरान जमा, उधार राशियों आदि पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposits, Borrowings etc. <b>66851369</b> परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आकस्मिक व्यय Operating Expenses and Provision & Contingencies <b>16601984</b> आय पर कर/Taxes on income <b>2640000</b> <b>जोड़िए /ADD :</b> मूल्यहास/Depreciation <b>1130226</b>	78985840 8896117  56666058 18663045 2080000 1030524
I.	परिचालनों से उत्पन्न नकदी लाभ (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)	
I.	<b>CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS</b> <b>19285149</b> (Prior to changes in operating Assets & Liabilities)	11503378
II.	परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी उपलब्धता	
II.	<b>CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES</b> देयताओं में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Liabilities ग्राहकों और बैंकों से प्राप्त जमा राशियाँ/Deposits from Customer & Banks <b>207143360</b> बैंकों और अन्य संस्थाओं से उधार राशियाँ Borrowings from Banks & Other Institutions <b>8843123</b> अन्य देयताएँ आदि (पिछले वर्षों में व्यय के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान के पुनरांकन सहित) Other Liabilities etc. (including write back of excess provision for exp. made in the earlier years) <b>(6175484)</b> <b>आस्तियों में कमी/(वृद्धि) Decrease/(Increase) in Assets</b> अग्रिम/Advances <b>(174812574)</b> निवेश/Investments <b>(24612999)</b> अन्य आस्तियाँ/Other Assets <b>(4455950)</b>	165372371 - 673653 4429449 (123805737) (28419179) (4684945)
क. A.	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (I+II) <b>NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)</b> <b>25214625</b>	23721684
ख. B.	निवेश गतिविधियों से नकदी उपलब्धता <b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b> अचल आस्तियों पर On Fixed Assets <b>(892078)</b> प्रक्रियाधीन कार्य पर On Work in Progress <b>(76446)</b>	(1249137) (120254)
ख. B.	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता <b>NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b> <b>(968524)</b>	(1128883)
ग. C.	वित्तीयन गतिविधियों से नकदी उपलब्धता <b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b> प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid <b>(916015)</b>	(916045)

	(हजार रुपयों में /Rs. 000s)		
	31-03-2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2009		31-03-2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2008
ग. C.	गौण ऋण (चरण I और चरण II की पूंजी) Subordinated debts (Tier I and Tier II Capital) चरण I और चरण II की पूंजी पर ब्याज Interest on Tier I and Tier II Capital	6390000 -2247435	1800000 (1894441)
C.	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	3226550	(1010486)
I.	वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता (क+ख+ग) TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C) नकदी उपलब्धता में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow	27472651	21582315
II.	वर्ष के प्रारंभ में शेष Balances at the Beginning of the Year: भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash & Balances with the R.B.I. बैंकों के पास शेष और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	103749103 12822374 116571477	65742316 29246846 94989162
III.	वर्ष के अंत में शेष Balances at the End of the Year: भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash & Balances with the R.B.I. बैंकों के पास शेष और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	125432331 18611797 144044128	103749103 12822374 116571477
III.	वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR नकदी उपलब्धता में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow	27472651	21582315
<div> <div>आर. रामचंद्रन / R. RAMACHANDRAN कार्यपालक निदेशक / EXECUTIVE DIRECTOR</div> <div>वी. के. नागर / V. K. NAGAR कार्यपालक निदेशक / EXECUTIVE DIRECTOR</div> <div>जॉर्ज जोसेफ / GEORGE JOSEPH अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR</div> </div>			
लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र / AUDITORS' CERTIFICATE			
<p>हम, सिंडिकेट बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक के 31-03-2009 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत हमारी तद्विनांकित रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।</p> <p>We, the undersigned Statutory Central Auditors of the Syndicate Bank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank, for the year ended 31-03-2009. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchanges and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report of even date to the President of India.</p>			
मेसर्स एल. एस. नलवाया एण्ड कंपनी सदस्य लेखाकार M/s L. S. Nalwaya & Co. Chartered Accountants	मेसर्स वी. के. धींगरा एण्ड कंपनी सदस्य लेखाकार M/s V. K. Dhingra & Co. Chartered Accountants	मेसर्स बी. पी. राव एण्ड कंपनी सदस्य लेखाकार M/s B.P. Rao & Co. Chartered Accountants	मेसर्स जी. वेणुगोपाल कामत एण्ड कंपनी सदस्य लेखाकार M/s G. Venugopal Kamath & Co. Chartered Accountants
(आशीष नलवाया) साझेदार सदस्यता सं.: 110922	(संजय जिंदाल) साझेदार सदस्यता सं.: 087085	(सी. प्रसांत) साझेदार सदस्यता सं.: 214431	(आर. रामचंद्रन) साझेदार सदस्यता सं.: 023982
(अनिल जैन) साझेदार सदस्यता सं.: 086556	(ए. के. मित्रा) साझेदार सदस्यता सं.: 009351		
(Aashish Nalwaya) Partner Membership No.: 110922	(Sanjay Jindal) Partner Membership No.: 087085	(C. Prasanth) Partner Membership No.: 214431	(R. Ramachandran) Partner Membership No.: 023982
(Anil Jain) Partner Membership No.: 086556	(A. K. Mitra) Partner Membership No.: 009351		
स्थान/Place : बेंगलूर/Bangalore दिनांक/Date : 28-04-2009			